জুমআর সালাতের আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সুলতানের শর্ত কি প্রযোজ্য?

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম বিন আবু তাহের

১৪ যিলক্বদ, ১৪৪৬ হি.

২৩ মে, ২০২৫ ঈ.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أما بعد:

হানাফী মাজহাবে জুমআর সালাতের আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে- "(ইসলামী রাষ্ট্রের) সুলতান (খলীফা) বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা তার অনুমতি থাকা"। [1] যা থেকে অনুমিত হয় যে, এই শর্ত পাওয়া না গেলে (যেমন: যেসব স্থানে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে পাওয়া যায় না); মুসলিমদের জুমআর সালাত সহীহ হবে না। [2] তো এই শর্তের স্বরূপ কী? শর্তটি কি সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ ক্ষেত্র রয়েছে? এই প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করব, ইনশাআল্লাহু তাআলা। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

---

[1]قال الإمام أبو حنيفة: لا تكون جمعة إلا بإمام. قلت -محمد الشيباني-: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال -أبو حنيفة-: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم. الأصل (٣١٠/١، وزارة الأوقاف - قطر). ⋆ قال الطحاوي: الجمعة بغير سلطان: قال أصحابنا لا تجزيء. مختصر اختلاف العلماء، ٣٤٥/١. وقال في المختصر: ولا يقوم بها إلا ذو سلطان اهـ، كأمير، ووال، وقاض. ⋆ وقال القدوري في المختصر: ولا تجوز إقامتها (أي الجمعة) إلا بالسلطان أو من أمره السلطان اهـ. وقال: وإنما شرط فيها السلطان؛ لأنها لا تفعل إلا بأمره. شرح مختصر الكرخي، ٥٣٩/١. ⋆ وقال القاضي الغزنوي: ولا تجوز إقامتها إلا بأمر السلطان. الحاوي القدسي، ١/ ٢٣٧. ⋆ في درر الحكام (١٣٧/١): (و) شرط صحتها أيضا (السلطان أو من أمره السلطان) بإقامة الجمعة اهـ. * وفي كنز الدقائق: شرط أدائها المصر.. والسلطان أو نائبه اهـ. ⋆ وفي العناية (٥٤/٢): (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان) أي للوالي الذي لا والي فوقه، وكان ذلك الخليفة (أو لمن أمره السلطان) اهـ. * وفي البناية (٤٩/٣): (ولا يجوز إقامتها) أي إقامة الجمعة (إلا للسلطان) أراد بالسلطان الخليفة.. (أو لمن أمره السلطان) يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن أمره السلطان، وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء هـ. ⋆ وفي مجمع الأنهر (١٦٥/١): (لا تصح) الجمعة (إلا بستة شروط) هذه الشروط للأداء.. (والسلطان أو نائبه) وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء اهـ. ⋆ وفي النهر الفائق (٣٥٥/١): (والسلطان).. أي: وشرط أدائها حضور السلطان أو (نائبه) المأمور بإقامتها اهـ. * وفي فتح باب العناية (٤٠٤/١) لمنلا علي القاري: (والسلطان) أي وشرط لأداء الجمعة السلطان.. (أو نائبه) وهو من أمره السلطان بإقامتها.. وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعي اهـ. وفي الفتاوى الهندية (١٤٥/١): (ومنها: السلطان) عادلا كان أو جائرا.. أو من أمره السلطان وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء.. حتى لا تجوز إقامتها بغير أمر السلطان وأمر نائبه اهـ.

এক. সেটা কাদের নিকট শর্ত?

এব্যাপারে দুটি মত রয়েছে,

১. জুমআর সালাতের আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সুলতানের অনুমতির প্রয়োজন নেই, তবে (তিনি থাকলে) অনুমতি নেওয়া উত্তম। আবুল হুসাইন উমরানী শাফেয়ী (৫৫৮ হি.) বলেন,

يستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام.. فإن أقيمت بغير إذنه: صحت، وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا تصح إقامتها إلا بإذن الإمام أو الوالي من قبله. البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦١٨/٢.

মুস্তাহাব হলো- ইমামের অনুমতি ব্যতীত জুমআ কায়েম না করা। যদি তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমআ কায়েম করা হয়; তাহলে সহীহ হবে। এটা মালেক, আহমদ ও অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। তবে আবু হানিফা ও আওযায়ী বলেন- ইমাম বা তাঁর নিয়োজিত প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত জুমআ কায়েম করা সহীহ নয়। আল-বয়ান, ২/৬১৮।

ইবনু হুবায়রা (৫৬০ হি.) বলেন,

فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: إن أقيمت بغير ذلك صحت مع استحبابهم الاستئذان. اختلاف الأئمة العلماء، ١٥٤/١.

জুমআ কায়েম করা সম্পর্কে আবু হানিফা এবং আহমদ -তাঁর এক রেওয়ায়েতে- বলেন, ইমামের অনুমতি ব্যতীত জুমআ কায়েম করা সহীহ নয়। আর মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদ -অন্য রেওয়ায়েতে- বলেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমআ কায়েম করা সহীহ, তবে তাঁরা- (তাঁর) অনুমতি নেওয়াকে উত্তম মনে করেন। ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা, ১/১৫৪।

এটা শাফেয়ী [3], মালেকী [4] এবং হাম্বলী [5] মাজহাবের বক্তব্য। ইমাম তবারী এবং ইবনু হাজম জাহেরী রহ. এর অভিমতও এটা। [6]

---

[2] ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الأول: (المصر).. (و) الثاني: (السلطان) اهـ "الدر المختار". قال في رد المحتار (١٣٧/٢): (قوله ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوبا وأداء منها: ما هو في المصلى، ومنها ما هو في غيره. والفرق: أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه، ويصح بانتفاء شروط الوجوب اهـ. وينظر: النهر، ٣٥٢/١.

[3] قال الماوردي (٤٥٠ هـ): صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان. الحاوي الكبير، ٤٤٦/٢.

....

وقال النووي (٦٧٦ هـ): ولا يشترط حضور السلطان، ولا إذنه فيها. روضة الطالبين، ١٠/٢. وقال: ولا يشترط لصحة الجمعة حضور السلطان ولا إذنه فيها. المجموع، ٥٠٩/٤. وقال أيضا: فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت بغير إذنه ولا حضوره جاز وصحت، هكذا جزم به المصنف والأصحاب، ولا نعلم فيه خلافا عندنا.. مذهبنا أنها تصح بغير إذنه وحضوره وسواء كان السلطان في البلد أم لا. المجموع، ٥٨٣/٤. وقال ابن الرفعة (٧١٠ هـ): حضور الإمام وإذنه في عقدها (الجمعة) ليس بشرط في صحتها على المذهب، كما في الحج. كفاية النبيه، ٣٢٣/٤. وقال زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ): (ولا يشترط حضور السلطان) الجمعة ولا إذنه فيها كسائر العبادات لكن يستحب استئذانه فيها. أسنى المطالب، ٢٥١/١. وقال زين الدين المعبري (٩٨٧ هـ): ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها. فتح المعين، صفحة ١٩٧. وينظر: الأم للشافعي (٢٢١/١)، المهذب للشيرازي (٢٢٠/١)، الوسيط في المذهب (٢٦٨/٢-٢٦٩)، حلية العلماء (٢٩٦/٢)، العزيز شرح الوجيز (٢٦٢/٢)، فتح الباري لابن حجر (٣٨١/٢، ١٩٠/٢).

[4] قال القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ): وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان. المعونة، صفحة ٣٠٥. وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وتصح الجمعة بغير سلطان. الكافي، ٢٤٩/١. وقال ابن الحاجِب (٦٤٦ هـ): ولا يشترط (لأدائها) إذن السلطان على الأصح. جامع الأمهات، صفحة ١٢٢. وينظر: المدونة (٢٣٣/١، فيمن تجب عليه الجمعة)، شرح الزرقاني على الموطأ، ٦١٦/١. قوله: (على الأصح) فإن خالفه يحيى بن عمر من المالكية (يراجع: شرح التلقين، ٩٥٤/١-٩٥٥)، قال ابن شاس (٦١٦ هـ): ولا يشترط حضور السلطان فيها ولا إذنه، وقال يحيى بن عمر: لا تقام الجمعة إلا بالإمام الذي تخاف مخالفته. وقال محمد بن مسلمة: لا يصلي الجمعة إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجتمع عليه. عقد الجواهر الثمينة، ١٥٩/١. قال الشيخ خليل (٧٧٦ هـ): (ولا يشترط إذن السلطان على الأصح) "الأصح" عبر عنه ابن راشد بالمشهور، لكنه يستحب إذنه. والقول بأن إذنه من شروط الأداء نقله يحيى بن عمر، فقال: الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة شروط: المصر، والجماعة، والإمام الذي تخاف مخالفته، فمتى عدم شيء من هذه لم تكن جمعة. وقال ابن مسلمة في المبسوط: لا يصليها إلا السلطان، أو مأمور، أو رجل مجمع عليه، ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء. التوضيح، ٤٩/٢.

[5] قال الكَلْوَاذَاني (٥١٠ هـ): ولا يشترط في انعقاد الجمعة والعيدين إذن الإمام. الهداية، صفحة ١١٠. وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يشترط للجمعة إذن الإمام.. لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. الكافي، ٣٣٠/١. وقال أيضا: واختلفت الرواية في شرطين آخرين:.. والثاني، إذن الإمام. والصحيح أنه ليس بشرط. وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. المغني، ٢٠٦/٣. وقال مجد الدين بن تيمية (٦٥٢ هـ): ولا يشترط إذن الإمام لجمعة ولا عيد ولا استسقاء. المحرر، ١٤٣/١. وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): (ولا يشترط إذن الإمام) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف، ٣٩٨/٢. وقال الحَجّاوي (٩٦٨ هـ): ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام. الإقناع، ١٩٥/١. وقال ابن النجار

২. জুমআর সালাত কায়েম করার জন্য সুলতান বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা তার অনুমতি থাকা জরুরী। অন্যথা জুমআ সহীহ হবে না। এটা হানাফী মাজহাবের বক্তব্য। [7] এই মতটি কয়েকজন তাবেয়ী এবং আরো বিভিন্ন আলেম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [8]

(٩٧٢ هـ): ولصحتها شروط، ليس منها إذن الإمام. منتهى الإرادات، ٣٥١/١. ⋆ ولأحمد في الباب روايتين، انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، ٤٧٠/٦-٤٧٢.

[6] قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): وتصلى (الجمعة) في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن. المحلى، ٢٥٢/٣. وقال أيضا: ولا فرق بين الإمام في الجمعة والجماعة فيها وبين الإمام في سائر الصلوات والجماعة فيها، فمن أين وقع لهم رد الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها؟! - المحلى، ٢٥٦/٣. قال ابن عبد البر: وهو قول الطبري: إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان. الاستذكار، ٣٨٨/٢. وينظر: التمهيد له أيضا، ١٢٤/٧.

[7] قال الفقيه أبو الليث: قال الشافعي: السلطان ليس بشرط لإقامة الجمعة. وعندنا: شرط. مختلف الرواية (٤٨٣/١، ط. مكتبة الرشد). * وقال السرخسي في المبسوط (٢٥/٢): والسلطان من شرائط الجمعة عندنا اهـ. * وفي البدائع (٢٦١/١): وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه اهـ. وقال الإسبيجابي (٥٩١ هـ): ولا يجوز إقامتها إلا بسلطان أو من أمره السلطان، وهذا عندنا. زاد الفقهاء (٢٢١/١، جامعة أم القرى - السعودية). ⋆ وفي المحيط البرهاني (٦٨/٢): والشرط الثاني: السلطان، أو نائبه من الأمير أو القاضي، هذا مذهبنا اهـ. وقال السغناقي: ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان: وهذا مذهبنا اهـ "النهاية". وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢١٩/١): شرط أدائها السلطان أو نائبه اهـ.

[8] قال أبو عبد الله -رجل من أصحاب النبي ﷺ-: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. الأموال لابن زنجويه (٢١٤٣)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢٩٩/٣)، أحكام القرآن للجصاص (١٣١/٥)، المحلى لابن حزم، ٧٦/١٢. * وقال عبد الله بن محيريز (٨٧ هـ): «الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى السلطان». أورده ابن زنجويه في الأموال (٢١٤٤) واللفظ له، وابن أبي شيبة (٣٠٣٢٩، ت الشثري). * وقال عطاء الخرساني: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود. المصنف لابن أبي شيبة (رقم: ٣٠٣٣٠). * وكان سليمان بن يسار يقول: لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود. الأوسط لابن المنذر، ١٢٣/٤. * وهو قول الأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، ويحيى بن عمر المالكي. التوضيح لابن الملقن (٤٤٩/٧)، الغاية في شرح الهداية (١٥٢/٥، ن: أسفار - الكويت)، عمدة القاري، ١٩١/٦. وينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢١٣/٦، ت بشار). * قال الجصاص: وقد روى نحو قولنا عن الزهري، وسليمان بن يسار، ورواه الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. شرح مختصر الطحاوي، ١٢٥/٢.

قال ابن المنذر (٣١٩ هـ): مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره.

দুই. তাঁদের মতানৈক্যের ক্ষেত্র

এবিষয়ে আলেমদের ইখতেলাফের ক্ষেত্র নির্ণয় করতে গিয়ে, ইবনু আব্দিল বার রহ. (৪৬৩ হি.) বলেন,

ولا يختلف العلماء: أن الذي يقيم الجمعة السلطان، وأن ذلك سنة مسنونة، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا، من موت الإمام، أو قتله، أو عزله والجمعة قد حانت: فذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصلي بهم بعضهم بخطبة، ويجزئهم. التمهيد (١٢٥/٧، ت بشار). وينظر: الاستذكار له أيضا، ٣٨٩/٢.

আলেমদের মধ্যে এবিষয়ে মতানৈক্য নেই যে, যিনি জুমআ কায়েম করবেন, তিনি হচ্ছে- সুলতান এবং এটা চলে আসা সুন্নাহ (নিয়ম)। তাঁরা মতানৈক্য করেছেন যখন উল্লেখিত পরিস্থিতি আসে, তথা: ইমাম মৃত্যু বরণ করে বা নিহত হয় বা পদচ্যুত হয়, আর জুমার সময়ও হয়ে যায়। তো এপ্রসঙ্গে আবু হানিফা ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং আওযায়ী (রহ.) এর মাজহাব হলো- তারা চার রাকাত জহুর পড়বে। আর মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবু ছাওর (রহ.) বলেন, তাদের কতক খুতবা-সহ জুমআর সালাত পড়াবে এবং এটা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আত-তামহীদ, ৭/১২৫।

অর্থাৎ সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের সুলতানই জুমআ কায়েম করেন। রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সময় থেকে শতাব্দী পরম্পরায় জুমআ এভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। তবে যদি এমন পরিস্থিতি আসে, যখন সুলতান জুমআ কায়েম করতে পারছে না (উদাহরণস্বরূপ: সে মৃত্যু বরণ করেছে); তখন মুসলিমরা কী করবে? নিজেরা একজন খতীব নিযুক্ত করে জুমআ কায়েম করবে, নাকি জহুর পড়বে? একদল আলেমের অভিমত হলো, জুমআ পড়বে। তঁদের আরেক দলের মাজহাব হলো, জহুর পড়বে।

واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير. فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهرا أربعا. وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة. وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة. وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. الإشراف، ١١٠/٢-١١١. وانظر أيضا: إعلاء السنن، ٨٠/٨. قال الماوردي (450 هـ): وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه من قاض أو شرطي، وبه قال الحسن، والأوزاعي. الحاوي الكبير، ٤٤٦/٢. وقال ابن قدامة (620 هـ).: والثانية: هو شرط. روى ذلك عن الحسن، والأوزاعى، وحبيب بن أبي ثابت، وأبى حنيفة. المغني، ٢٠٦/٣. وقال النووي (676هـ): وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه. المجموع، ٥٨٣/٤.

উল্লেখ্য যে, যে-ধরনের পরিস্থিতির কথা ইবনু আব্দিল বার রহ. বর্ণনা করেছেন; এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ -রহিমাহুমাল্লাহ- এর মাজহাব হলো- মুসলিমরা জুমআ পড়বে না (অর্থাৎ জুমআ পড়লে তা সহীহ হবে না), বরং জহুর আদায় করবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মত হলো- এক্ষেত্রে মুসল্লিগণ ঐক্যমত্য হয়ে কাউকে ইমাম বানিয়ে জুমআর সালাত কায়েম করবে। [9] আমাদের হানাফী ফকিহগণ এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন এবং এ অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি- উসমান রা. এর অবরুদ্ধ থাকার সময়, মুসল্লীদের সর্বসম্মতে আলী রা. কর্তৃক ঈদের সালাত আদায় করার বিষয়টি পেশ করেন (আর এটা সুস্পষ্ট যে, জুমআও ঈদের মতোই)। [10] তাছাড়া মুতার যু*দ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত আমীরগণ সবাই শ-হী-দ হয়ে যাওয়ার

---

[9] قال الفقيه أبو الليث (٣٧٣ هـ): روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: في والي مصر مات، ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صحاب شرطته، أو القاضي أجزأهم، وإن اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا لم يأمر القاضي به، ولا خليفة الميت، لم يكن لهم جمعة. ٭ وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قال: لو مات عامل أفريقية، أو عامل بعيد عن الخليفة، فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم، حتى يأتيهم عامل، فصلى بهم جاز. قال محمد: صلى علي بن أبي طالب بالناس الجمعة، وعثمان بن عفان محصور. عيون المسائل، ٣٤/١. وانظر: بدائع الصنائع، ٢٦١/١. * قال أحمد الناطفي (٤٤٦ هـ): «وإن مات ولي المصر فأجمع العامة أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة بغير أمر القاضي، أو صاحب الشرطة، أو خليفة الميت، لم تجز الجمعة، وبأمر واحد من هؤلاء جاز» ذكره في «المجرد عن أبي حنيفة».

٭ وقال محمد في «نوادر ابن رستم»: «لو مات صاحب إفريقية - وهي من بلاد المغرب - فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم صلاة الجمعة إلى أن يجيئهم عامل أمير المؤمنين، جازت صلاته، وقد صلى بالناس صلاة الجمعة، وعثمان محصور، اجتمع عليه الناس». ٭ وفي «نوادر ابن سماعة عن محمد»: «لو غلب على مصر متغلب فصلى بهم الجمعة جاز، وكذلك إذا أجمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة: جاز». الأجناس (١٢٩/١-١٣٠، ن: دار المأثور). ٭ وقال العمراني الشافعي (٥٥٨ هـ): وقال محمد: إن مات الإمام، فقدم الناس رجلا يصلي بهم الجمعة، جاز ذلك؛ لأن ذلك موضع ضرورة. البيان، ٦١٨/٢. وينظر: خزانة الأكمل (١٦١/١، ط. العلمية)، المجتبى للزاهدي (٩/٢-١٠، ط. دار الرياحين)، البناية، ٥٠/٣. * وقال الكاكي (٧٤٩ هـ): وفي المجرد عن أبي حنيفة: لو مات والي مصر، فاجتمعت العامة على تقديم رجل يصلي بهم الجمعة بلا أمر الخليفة والقاضي وصاحب الشرط، الخليفة ميت؛ فلا جمعة لهم. وفي نوادر ابن رستم: صحت جمعتهم. وفي المبسوط: هو الصحيح؛ لاجتماع الناس على علي رضي الله عنه حين أحصر عثمان رضي الله عنه. معراج الدراية (٢٩٨/٢، ط. العلمية). (وصاحب الشرط، الخليفة ميت) كذا في المطبوع، وفي المخطوطة: «وصاحب الشرطة، ولا خليفة الميت». المجلد الأول من "معراج الدراية" (لوحة: ١٩٢/أ، مخطوط بخزانة فيض الله أفندي بإستانبول، تحت رقم: ٨٨٧).

পর, সাহাবীগণ -রাদিআল্লাহু আনহুম- সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ বিন ওয়ালিদ -রাদিআল্লাহু আনহু- কে আমীর নিযুক্ত করে, তাঁর নেতৃত্বে কি-তা-ল সম্পন্ন করেন। এটিও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতের প্রমাণ বহন করে।

আবু উবায়েদ বলেন,

شهدت العيد مع علي بن أبي طالب - وعثمان محصور - فجاء، فصلى، ثم انصرف، فخطب. أخرجه مالك في الموطأ (رقم: ٦١٣، ت الأعظمي)، والشافعي (السنن المأثورة - المزني، رقم: ١٨٠؛ مسند الشافعي - ترتيب السندي، رقم: ٣٢٥)، والطحاوي (شرح مشكل الآثار، ١٦٨/١٣)، وابن حبان (٣٦٠٠)، وأبو نعيم (المستخرج، رقم: ٢٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى (رقم: ٥٣٧٦، باب الصلاة بغير أمر الوالي)، وإسناده صحيح.

উসমান (রা.) যখন অবরুদ্ধ, তখন আমি আলী (রা.) এর সঙ্গে ঈদের জামাতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি (মানুষদের নিয়ে) ঈদের নামায আদায় করেছেন। তারপর ফিরে খুতবা প্রদান করেছেন। -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা নং: ৬১৩।

ইমাম ত্বহাবী রহ. (৩২১ হি.) বলেন,

وذكر عن محمد: أن أهل مصر لو مات واليهم، جاز أن يقدموا رجلا، يصلي بهم الجمعة، حتى يقدم عليهم وال.. وهذا أصل من: أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور، إذ على المسلمين إقامة رجل يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة، لما قتل الأمراء، اجتمعوا على خالد بن الوليد. [11] مختصر اختلاف العلماء، ٣٤٥/١. ونقله عنه ابن بطال (٤٤٩ هـ) في شرح صحيح البخاري (٣٢٦/٢)، وابن الملقن في التوضيح، ٥٤٤/٦.

---

[10]اعلمْ أنَّ لهذه الواقعةِ وجهين: أحدُهما: أنَّ عليًا رضي الله عنه صلّى بالناس من غيرِ إذنِ الإمام، وبهذا الوجهِ استدلَّ الشافعيُّ وأحمدُ وأصحابهما على أنَّ الجمعةَ جائزةٌ بغيرِ سلطانٍ ولا إذنِه. والثاني: أنَّه صلّى بهم، وجازت صلاتُه لاجتماعِ المسلمين عليه بتقديمه للصلاة بهم. وبهذا الوجهِ استدلَّ علماؤنا الحنفيةُ على أنَّ للعوامِّ إقامةَ الجمعةِ عند عدمِ حضورِ السلطانِ أو نائبِه، إذا اجتمعوا على رجلٍ يُصلِّي بهم الجمعةَ. كما أوضحوه، فاعلمه.

[11] قال ابن عبد البر المالكي (٤٦٣ هـ): وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة، والاختلاف في ذلك سواء؛ لأن صلاة علي بالناس العيد وعثمان محصور: أصل في كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته، أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به. وهذا مذهب مالك، والشافعي، والأوزاعي، والطبري، كلهم يقول: تجوز الجمعة بغير سلطان.. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد: لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان. وروي

মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত: কোনো শহরবাসীর প্রশাসক যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তাদের জন্য জায়েয, একজন ব্যক্তিকে সামনে বাড়িয়ে দেয়া, যিনি (নতুন) প্রশাসক আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করবেন। (এরপর তিনি আলী রা. এর ঈদের সালাত কায়েম করার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন): এটি একটি প্রমাণ যে, যদি কোন কারণে ইমামুল মুসলিমিন উপস্থিত হতে না পারেন; তখন মুসলিমদের দায়িত্ব হলো- এমন একজন ব্যক্তি ঠিক করা, যিনি সেই কাজটি (যাতে ইমাম উপস্থিত হতে পারেননি) আঞ্জাম দিবে। এটা যেমনটি মুসলিমগণ মুতার যু*দ্ধের দিন করেছেন; যখন (একে একে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত) সকল আমির শ-হী-দ হয়ে গেল, তখন সবাই মিলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.কে আমির নিযুক্ত করেন। -মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ১/৩৪৫।

মুতার যু*দ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত আমিরগণ শ-হী-দ হয়ে যাওয়ার পর, সকল সাহাবি মিলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে আমির নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করে- তিনি আরো বলেন,

ما كان من خالد رضي الله عنه بلا تولية: لِما رأى من الحاجة إلى ذلك، ففي هذا ما قد دل على أن ما حدث من أمور المسلمين -مما شغل إمامهم عن التولية عليه-، أنه جائز لمن يتولى على القيام بذلك القيام به، بل عليه القيام به، وعلى الناس السمع والطاعة فيه. وقد امتثل ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام في صلاة العيد، لما حصر عثمان رضي الله عنه عنها ومنعها، فصلى هو بالناس.. وكان ذلك من علي عليه السلام لِما خاف أن لا يكون للناس يومئذ صلاة عيد. وقد كان محمد بن الحسن - ومن أصله: أن الجمعة لا تقوم إلا بسلطان -، قد قال في السلطان يشغله عنها أمر مما يخاف فوته من أمور المسلمين، ولا يحضر أحد من قبله - ممن يكون له القيام بها -: أن من قدر على القيام بها من الناس، قام بها، فيكون في قيامه بها كقيامه لو قام بها بأمر السلطان -الذي إليه القيام بها-، وعلى الناس سواه اتباعه في ذلك. وكان أبو حنيفة، وأبو يوسف يخالفان محمدا فيما قال من هذا، والقول عندنا في ذلك كما قال [12]، لا كما قالا. شرح مشكل الآثار، ١٣/١٦٦-١٦٨.

عن محمد بن الحسن: أن أهل مصر لو مات واليهم، جاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة، حتى يقدم عليهم وال.. قد ذكرنا أن حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة، وإن كان ذلك في صلاة العيد، والأصل في ذلك أيضا: ما فعله المسلمون يوم مؤتة، لما قتل الأمراء، أجمعوا على خالد بن الوليد فأمروه. التمهيد ١٢٤/٧، ١٢٦. ⋆
وقال العيني: وإذا تعذر حضور الإمام؛ فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به. وهذا كما فعل المسلمون بمؤتة؛ لما قتل الأمراء، اجتمعوا على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. عمدة القاري، ٢٣٢/٥.

খালেদ রাদিআল্লাহু আনহু-র মাধ্যমে ইমাম কর্তৃক নিযুক্তি ব্যতীত যা হয়েছে, তা প্রয়োজনের কারণে ছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের কাজে (র সময়) এমন দুর্যোগ আসলে, যখন ইমাম সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে পারে না; তখন যেই ব্যক্তি তা সম্পাদন করতে পারে, তার জন্য তা কায়েম করা জায়েজ। বরং তার ওপর তা কায়েম করা আবশ্যক। আর জনসাধারণের ওপর আবশ্যক হলো- এবিষয়ে তার কথা শোনা ও আনুগত্য করা। আলী -আলাহিস সালাম- ঈদের সালাতের ক্ষেত্রে এরই অনুসরণ করেছেন; যখন উসমান -রাদিআল্লাহু আনহু- অবরুদ্ধ হয়ে যান, তখন তিনি মানুষদের নিয়ে (ঈদের) সালাত আদায় করেন। (তারপর আলী রা. এর সালাত পড়ানোর বর্ণনা উল্লেখ করে, তিনি বলেন) আলী -আলাহিস সালাম- তা করেছেন; কেননা, তিনি আশংকা করেছেন যে, (ইমাম অবরুদ্ধ হওয়ায় না জানি) সেদিন মানুষের ঈদের সালাত আদায় না করা হয়।

যখন সুলতান কোন কারণ বসত জুমআর তত্ত্বাবধান করতে না পারে -যে কারণে মুসলিমদের জুমআ অনাদায়ের আশঙ্কা থাকে-, এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধিও উপস্থিত না হয় -যে জুমআ কায়েম করতে পারে-; তখন এ ব্যাপারে (ইমাম) মুহাম্মাদ বিন হাসান -তাঁর একটি মূলনীতি হলো: সুলতান ব্যতীত জুমআ কায়েম হবে না- বলেন– যে ব্যক্তি জুমআ কায়েম করার সক্ষমতা রাখে, সে তা কায়েম করবে। তার এই জুমআ কায়েম করাটা- ওই ব্যক্তির কায়েমের মতো হবে, যে সুলতানের -যার ওপর জুমআ কায়েমের দায়িত্ব- নির্দেশে তা কায়েম করেছে। সে ব্যতীত অন্যান্য মানুষের ওপর আবশ্যক হলো, এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা। এবিষয়ে (ইমাম) আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.), (ইমাম) মুহাম্মদ (রহ.) এর বক্তব্যের ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে আমাদের মাজহাব সেটা- যা মুহাম্মদ (রহ.) বলেছেন, ওটা নয়- যা তাঁরা দুজন বলেছেন। শরহু মুশকিলিল আাছার, ১৩/১৬৬-১৬৮।

তিন. শর্তটি দেওয়ার হেতু কী?

শর্তটি দেওয়ার কারণ হলো- জুমআর সালাত অনুষ্ঠিত হয় অনেক জামাআত নিয়ে (যেখানে অনেক মহল্লা, এলাকা.. র মুসল্লীরা একত্রিত হয়)। এমতাবস্থায় জুমআর সালাতকে কেন্দ্র করে- তাদের পরস্পরের মাঝে প্রচন্ড বিভেদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যেমন,

ক. কেউ বললে- আমি ইমামতি করবো। অন্য কেউ বলবে- না, আমি তাদের ইমামতি করব।

---

[12] قال محمد بن الحسن الشيباني بعد إيراد حديث صلاة علي رضي الله عنه بالناس صلاة العيد وعثمان رضي الله عنه محصور: وبهذا كله نأخذ. موطأ مالك رواية محمد الشيباني، صفحة ٨٨.

খ. এক দল বলবে- অমুকে সালাত পড়াবে। অন্য কোন দল বলবে- না, বরং অমুকে জুমআ পড়াবে।

গ. একদল উদ্দেশ্য প্রণোদিত-ভাবে অল্প কিছু মানুষকে নিয়ে আগে জুমআ পড়ে নিবে, ফলে অন্যদের জুমআ ছুটে যাবে।

ঘ. কেউ বলবে- আমাদের জামে মসজিদে সালাত হবে। আবার কেউ বলবে- না, আমাদের মাসজিদে হবে।

ঙ. কেউ বলবে- এই সময়ে সালাত শুরু হবে। অন্য কেউ বলবে- না, অমুক সময়ে সালাত অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে আরো বিভিন্ন ধরনের বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। ফলে এই বিরোধ এর কারণে কখনো জুমআর সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে, কখনো সালাতের মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাবে, কখনো হা-তা-হা-তি, মা-রা-মা-রি, র-ক্ত-পাত হবে ..। তো যাতে জুমআর সালাতের জামাআত সুষ্ঠ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কোন বিবাদ, বি-শৃ-ঙ্খলা.. সৃষ্টি না হয়; সে জন্য এখানে এমন কোন ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন, যিনি এই সংশ্লিষ্ট ফেতনা দমন করতে পারবেন, সালাত আদায়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে পারবেন। আর তিনি হলেন সুলতান, বা তাঁর প্রতিনিধি। এই কারণে, সুলতান বা তাঁর প্রতিনিধির শর্ত দেওয়া হয়েছে।

এই শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সারাখসী রহ. (৪৮৩ হি.) বলেন,

ولأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة، ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة؛ لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع، فيقيمونها لغرض لهم، وتفوت على غيرهم، وفيه من الفتنة ما لا يخفى، فيجعل مفوضا إلى الإمام -إليه أحوال الناس والعدل بينهم-، لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة.. اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس. المبسوط، ٢٥/٢. وعينه في: النهاية للسغناقي (٦٩/٤، الكتاب مرقم آليا - الشاملة)، ونحوه في: زاد الفقهاء للإسبيجابي (٢٢٢/١، ن: جامعة أم القرى).

তাছাড়া জুমআ কায়েম করার জন্য মানুষ বিভিন্ন জামাআত ত্যাগ করে। যদি তাতে সুলতানের শর্ত না দেওয়া হয়, তাহলে ফেতনা (গোলযোগ) হবে; কেননা, কিছু মানুষ আগে জামে মসজিদে গিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জুমআ কায়েম করবে, ফলে অন্যদের জুমআ ছুটে যাবে। আর এতে কি পরিমাণ ফেতনা (দাঙ্গা) হবে, তা অস্পষ্ট নয়। তাই (জুমআ কায়েমের) এই বিষয়টি ইমামের -যার ওপর মানুষদের অবস্থা সমূহে তাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে- নিকট অর্পণ করা হয়; কেননা, তিনি ফেতনাকে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা করতে পারবেন।.. সুলতানের শর্ত দেওয়া হয়েছে, মানুষের জুমআ ছুটে যাওয়া থেকে বাছার জন্য। আল-মাবসূত, ২/২৫।

কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন,

وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه.. لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم، والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف، وأسباب العلو والرفعة، فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة، فيقع بينهم التجاذب والتنازع، وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي، ففوض ذلك إلى الوالي؛ ليقوم به، أو ينصب من رآه أهلا له، فيمتنع غيره من الناس عن المنازعة، لما يرى من طاعة الوالي، أو خوفا من عقوبته. ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت الجامع، فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة، وهي: اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال، وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة، فكانت الجمعة للأولين، وتفوت عن الباقين، فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان؛ ليقيمها بنفسه، أو بنائبه، عند حضور عامة أهل البلدة، مع مراعاة الوقت المستحب. بدائع الصنائع، ٢٦١/١.

আমাদের নিকট জুমআ আদায়ের জন্য সুলতান শর্ত। সুলতান বা তার নায়েবের উপস্থিতি ব্যতীত জুমআ কায়েম করা সহীহ নয়।.. তাছাড়া যদি সুলতানের শর্ত না দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্য ফেতনা হবে। কেননা, এই সালাতটি আদায় করা হয়- (অনেক) বড় দল নিয়ে, আর (খতীব হয়ে) পুরো শহরবাসীর সামনে যাওয়া- এটাকে সম্মান, গৌরব ও উচ্চ মর্যাদার একটি ফটক গণ্য করা হয়। এজন্য যাদের ভিতরে উচ্চাকাঙ্খা ও নেতৃত্বের প্রতি ঝোঁক রয়েছে, তারা প্রত্যেকে এদিকে ধাবিত হবে; ফলে তাদের পরস্পরের মাঝে টানাটানি ও বিবাদ সৃষ্টি হবে, আর এটা পারস্পরিক খুনাখুনি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। তাই জুমআ কায়েমের বিষয়টি প্রশাসকের নিকট অর্পণ করা হয়েছে, যাতে তিনি নিজে তা বাস্তবায়ন করেন (অর্থাৎ জুমআ পড়ান), অথবা উপযুক্ত কাউকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাহলে অন্যান্য মানুষেরা হয়তো প্রশাসকের আনুগত্য করত কিংবা তার শাস্তির ভয়ে পারস্পরিক বিবাদ থেকে বিরত থাকবে।

এছাড়াও যদি বিষয়টি সুলতানের নিকট অর্পণ না করা হয়; তাহলে হয়তো জামে মাসজিদে উপস্থিত প্রত্যেক দল নিজ নিজ সালাত আদায় করবে, তাহলে জুমআর ফায়দা অবশিষ্ট থাকবে না, আর তা হচ্ছে- পরিপূর্ণভাবে ফজীলত অর্জনের জন্য মানুষদের একত্রিত হওয়া। অথবা (কিছু লোকের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে) শুধু একবার আদায় করা হবে, তাহলে জুমআ প্রথম দলের জন্য হবে আর অন্যদের জুমআ ছুটে যাবে। সুতরাং হেকমত (প্রজ্ঞা) এর দাবি হলো- জুমআ কায়েমের দায়িত্ব সুলতানের দিকে ফিরানো; যাতে মুস্তাহাব ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে শহরবাসীর সবার উপস্থিতিতে সুলতান নিজে জুমআ কায়েম করেন, বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে তা কায়েম করান। বাদায়েউস সানায়ে ১/২৬১।

আলী আরগীনানী রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

(ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان)؛ لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره، فلا بد منه، تتميما لأمره. [13] الهداية، ٨٢/١.

"(কুদূরী রহ. বলেন:) সুলতান বা তার নির্দেশিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও জন্য জুমআ কায়েম করা জায়েজ নেই"; কেননা, তা বিশাল জামাত নিয়ে কায়েম করা হয়। কখনো নিজে অগ্রসর হওয়া কিংবা অন্যকে এগিয়ে দেওয়ার বিষয়ে পরস্পর বিবাদ হয়। আবার কখনো এদুটি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ঝগড়া হয়। সুতরাং জুমআ সম্পন্ন করার জন্য সুলতান অথবা তার নির্দেশিত ব্যক্তি (র উপস্থিতি বা অনুমতি) জরুরী। আল-হিদায়া, ১/৮২।

ইবনে মাওদূদ মাওসিলী রহ. (৬৮৩ হি.) বলেন,

(ولا بد من السلطان أو نائبه) لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم المنازعة، فربما خرج الوقت ولا يصلون، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة، ومع وجود السلطان لا. الاختيار لتعليل المختار، ٨٢/١.

"সুলতান বা তার প্রতিনিধি (র উপস্থিতি বা অনুমতি) আবশ্যক"; কেননা, এটা যদি না থাকে, তাহলে প্রত্যেক জামাত ইমাম নির্বাচন করবে এবং তারা একজনের ব্যাপারে একমত হবে না। এতে করে তাদের মাঝে বিবাদ হবে, ফলে কখনো (জুমআর) ওয়াক্ত চলে যাবে এবং তাদের সালাত আদায় করা হবে না। সুতরাং এটা ফেতনা (দাঙ্গা) পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। কিন্তু সুলতানের উপস্থিতিতে তা হবে না। (আর একারণে সুলতান বা তার প্রতিনিধির শর্ত করা হয়েছে)। আল-ইখতিয়ার, ১/৮২।

---

[13]قال السغناقي (٧١٤ هـ): والمراد من السلطان الخليفة "النهاية". ٭ قال البابرتي (٧٨٦ هـ): (تقام بجمع عظيم) لكونها جامع الجماعات (وقد تقع المنازعة في التقدُّم) بأن يقول شخص: أنا أتقدم، وغيره يقول: أنا أتقدم (و) في (التقديم) بأن يقدم طائفة شخصا، وأخرى آخر (وقد يقع في غيره) أي في غير أمر التقدم والتقديم: من أداء من يسبق إلى الجامع، والأداء في أول الوقت، وآخره. العناية، ٥٥/٢. وقال العيني (٨٥٥ هـ): (وقد تقع) أي المنازعة (في غيره) أي في غير ما ذكر من التقدم والتقديم، بأن تقول طائفة: يصلي في مسجدنا، ويقول الآخرون: يصلي في مسجدنا، فتكثر الخصومة والنزاع. (فلا بد منه) أي إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من السلطان أو من أمره السلطان. (تتميما لأمره) أي لأمر الجمعة، وتذكير الضمير باعتبار المذكور.. ومن التتميم: أمر السلطان، لقطع المنازعة، وحسم مادة الخلاف. البناية، ٤٩/٣.

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

(قوله: لأنها تقام بجمع عظيم إلخ) حقيقة هذا الوجه أن اشتراط السلطان كي لا يؤدي إلى عدمها كما يفيده فلا بد منه تتميما لأمره: أي لأمر هذا الفرض أو الجمع، فإن ثوران الفتنة يوجب تعطيله، وهو متوقع إذا لم يكن التقدم عن أمر سلطان -تعتقد طاعته أو تخشى عقوبته-، فإن التقدم على جميع أهل المصر يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة فيقع التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى التقاتل. فتح القدير، ٥٥/٢.

আলী মারগীনানী রহ. এর বক্তব্য: "কেননা, তা বিশাল জামাত নিয়ে কায়েম করা হয়..." এই কারণের হাকীকত হচ্ছে- সুলতানের শর্ত দেয়া হয়েছে, যাতে জুমআ অ-কায়েম না হয়, যেমনটি তাঁর বক্তব্য: "সুতরাং এই ফরজ (জুমআ) বা একত্রকরণ সম্পন্ন করার জন্য সুলতান অথবা তার নির্দেশিত ব্যক্তি জরুরী" থেকে বোঝা যায়; কেননা, ফেতনা (হাঙ্গামা) র বিস্ফোরণ জুমআ অনাদায়কে আবশ্যক করে। আর এটা ঘটবে যখন (কারো) অগ্রসর হওয়াটা সুলতান -যার আনুগত্যের বিশ্বাস করা হয় কিংবা শাস্তির ভয় করা হয়- এর নির্দেশে না হবে। কেননা, পুরো শহরবাসীর সামনে (খতীব হয়ে) যাওয়া-কে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই এই (সম্মান অর্জনের) দিকে কর্তৃকের আকাঙ্খী প্রত্যেক ব্যক্তি ধাবিত হবে; ফলে টানাটানি ও পারস্পরিক বিবাদ হবে, আর এটা মারামারি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। ফাতহুল কাদীর, ২/৫৫।

হানাফী মাজহাবের অন্যান্য আলেমদের বয়ানেও এই রহস্যটির বিবরণ এসেছে, টীকাতে সেগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি। আলেম ও তালিবুল ইলম পাঠকগণ প্রয়োজন মনে করলে, তা দেখে নিবেন। [14]

---

[14]قال الجصاص (٣٧٠): لو جازت بغير سلطان، لتنازعها الناس، ولجاز لكل أحد أن يفعلها في مسجد، فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يقيم رجلا بعينه، ليقطع التنازع، ويحسم الخلاف. شرح مختصر الطحاوي، ١٢٦/٢. * وقال القدوري (٤٢٨ هـ): (والسلطان شرط فيها، فلا يجوز أن تقام إلا بأمره).. أن الجمعة تفوت على الناس إذا سبق إليها من يؤديها، فلو جوزنا للعامة إقامتها، لسبقت طائفة إلى الجامع وقدموها لغرض، ففاتت على أهل المصر، فجعلت إلى السلطان الذي يسوي بين الناس حتى لا تفوتها على بعضهم؛ ولأنها تفعل مع اجتماع الجماعات، ولكل واحد غرض في التقدم، فلا يتفقون على واحد، فيؤدي تنازعهم إلى بطلانها بخروج الوقت. شرح مختصر الكرخي (٥١٥/١، ن: أسفار - الكويت). ⋆ وقال أبو نصر الأقطع (٤٧٤ هـ): ولأنها لو لم تُجعَل إلى السلطان لأدَّى ذلك إلى تفويتها على الناس؛ لأن الواحد يسبِقُ إلى إقامتها لغرض مع نفر يسير، فيفوتها على الباقين، فجُعلت إلى السلطان ليسوي بين الناس، ولا يفوت بعضهم. شرح مختصر القدوري (٥٠٦/٢، ن: دار المنهاج القويم).

قال ابن مازَة (٦١٦ هـ): ولأن الناس يتركون الجماعة هذا اليوم لإقامة الجمعة. فلو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع، فيقيمونها لفرض لهم وتفوت على غيرهم وفيه من الفتنة ما لا يخفى، فيجعل مفوضا إلى الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة. المحيط البرهاني، ٦٩/٢. * وقال شمس الدين السروجي (٧١٠ هـ): ولأن عند عدم أمر الإمام يبادر كل قوم إلى تقديم إمامهم، ولأن بعضهم قد لا يرتضي بمن يصلي بهم ويختار غير الذي يختاره الآخر؛ فيؤدي ذلك إلى التشاجر والتناحر بينهم. الغاية في شرح الهداية (١٥٤/٥، ن: أسفار - الكويت). * وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): ولأنها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم وفي أدائها في أول الوقت أو آخره فيليها السلطان قطعا للمنازعة وتسكينا للفتنة اهـ. قال الشِّلبي: (قوله قطعا للمنازعة) قال الشيخ أبو نصر -رحمه الله- ولأنها لو لم تجعل إلى السلطان أدى ذلك إلى تفويتها على الناس؛ لأن الواحد يسبق إلى إقامتها لغرض مع نفر يسير، فيفوتها على الباقين، فجعلت إلى السلطان، ليسوي بين الناس، ولا تفوت بعضهم. تبيين الحقائق وحاشية الشلبي، ٢١٩/١.

قال الحدادي (٨٠٠ هـ): (ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان) لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وغير ذلك أي في التقدم بين الإمامين، والتقديم بين الجماعة، وغير ذلك أي في الموضع الذي يصلى فيه، والأداء في أول الوقت وآخره، وفي نصب الخطيب؛ ولأنه قد يسبق بعض الناس إلى الجامع، فيقيمونها لغرض لهم، وتفوت على غيرهم، فجعل أمرها إلى السلطان؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة والتسوية بينهم. الجوهرة النيرة، ٨٩/١. ⋆ وقال إبراهيم الحلبي (٩٥٦ هـ): الشرط الثاني كون الامام فيها السلطان، إو من اذن له السلطان.. ولأنها تقام بجمع عظيم؛ إذ هي جامعة للجماعات المتفرقة في المساجد، وفي غيرها، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وفي التعجيل والتأخير، فلا بد ممن له الولاية العامة، والكلمة الفاصلة، حسما للمنازعة المفضية إلى العداوة والفتنة، وإلى تفويت الجمعة غالبا. غنية المتملي (١٠١/٣، ن: الجامعة الإسلامية: دار العلوم ديوبند).

وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): وإنما كان شرطا للصحة؛ لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم، وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره. البحر الرائق، ١٥٥/٢. ⋆ وقال سراج الدين بن نجيم (١٠٠٥ هـ): لأنها تقام بجمع عظيم فيقع الاختلاف في التقديم والتقديم ويرتفع ذلك بحضور من ذكر. النهر الفائق، ٣٥٥/١. ⋆ وقال شيخي زاده (١٠٧٨ هـ): وإنما كان شرطا للصحة لأنها لا تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره. مجمع الأنهر، ١٦٥/١. ⋆ وقال الشُرُنبُلالي (١٠٦٩ هـ) في مراقي الفلاح: "و" الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم "السلطان" إماما فيها "أو نائبه" يعني من أمره بإقامة الجمعة، للتحرز عن تفويتها بقطع الأطماع في التقدم اهـ. قال الطحطاوي (١٢٣١ هـ): قوله: "للتحرز عن تفويتها" علة لاشتراط السلطان أو نائبه فيها. قوله: "بقطع الأطماع" متعلق بتحرز، وإنما كانت الأطماع مفوتة لوجود التنازع بين الطامعين في التقدم، فيمكن أن يفوت الوقت، وهم في النزاع. حاشية الطحطاوي على المراقي، صفحة ٥٠٧-٥٠٨.

বি. দ্র:

১. তাঁদের উপরিউক্ত এধরণের বক্তব্যগুলোর আলোকে কেউ কেউ মনে করেন- সুলতানের শর্তটি 'অপরিহার্য' হিসেবে দেওয়া হয় নি, বরং শর্তটি উল্লেখ করা হয়েছে কেবল মাসলাহাত (কল্যাণ) -এর বিবেচনায় (অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে)। তাই যেখানে ফেতনা হবে না, সেখানে সুলতানের প্রয়োজন নেই। তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। বিশুদ্ধ কথা হলো: আমাদের হানাফী মাজহাবের সকল ইমাম (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার [15] রাহিমাহুমুল্লাহ) ওটাকে 'আবশ্যকীয় শর্ত' হিসেবে গ্রহণ করেছেন (উত্তমতার শর্ত হিসেবে নয়)। এ জন্যই তাঁরা সুলতান ব্যতীত জুমআর সালাত কায়েম করা জায়েজ ও সহীহ বলেন না। [16] তাঁদের কতক (অর্থাৎ মুহাম্মদ রহ.) সুলতান ব্যতীত যেখানে জায়েজ বলেছেন, সেখানে জরূরতের কারণে বলেছেন। [17] এ ব্যাপারে কয়েকটি কথা সামনে কোন এক টীকাতে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

২. উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সুলতানের শর্ত প্রদানের একটি কারণ মাত্র। (তাই শুধু এর ওপর ভিত্তি করে শর্তটিকে 'মাকসূদ লিজাতিহী' (সত্তাগত উদ্দ্যেশিত) নয় আখ্যা দিয়ে, তাকে 'অজরুরী শর্ত' বা 'উত্তমতা'র শর্ত বলা যথাযথ নয়; কেননা,) সুলতানের শর্ত দেওয়ার আসল কারণ এবং সুলতান ব্যতীত জুমআ সহীহ না হওয়ার মূল দলিল হলো- ওই হাদীস, যাতে রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জুমআ-কে

---

[15]وعند زفر -رحمه الله تعالى- فوات الأصل بفراغ الإمام؛ لأنه يشترط السلطان لإقامة الجمعة، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- فوات الأصل بخروج الوقت؛ لأن السلطان عنده ليس بشرط لإقامة الجمعة. المبسوط للسرخسي، ٣٢/٢-٣٣. ومثله في النهاية للسغناقي.

[16] قال الكاساني (٥٨٧ هـ): قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجوز إقامة الجمعة بمنى إذا كان المصلي بهم الجمعة هو الخليفة، أو أمير العراق، أو أمير الحجاز، أو أمير مكة.. أو رجلا مأذونا من جهتهم، ولو كان المصلي بهم الجمعة أمير الموسم وهو الذي أمر بتسوية أمور الحجاج لا غير لا يجوز..؛ لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أمير مكة. بدائع الصنائع، ٢٦٠/١. ونقله عنه في البحر، ١٥٣/٢. وينظر لهذه المسئلة: مختلف الرواية (٢٣٨/١)، تبيين الحقائق (٢١٨/١)، البناية (٤٧/٣)، مجمع الأنهر (١٦٨/١)، الدر المختار مع رد المحتار، ١٤٣/٢. * قال ابن مَازَةَ (٦١٦ هـ): وإذا ثبت أن السلطان شرط يتفرع على هذا مسائل: أحدها: ما ذكر في «الأصل»: أن رجلا من عرض الناس لو صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب شرطة أو القاضي؛ لا يجزئهم لفوات شرطها. المحيط البرهاني، ٦٩/٢.

[17] قال عالِمْ محمد (١١٢٢ هـ): المصر شرط لأدائها، متفق عليه بين أئمتنا، لا خلاف بينهم فيه، كما أن السلطان أو نائبه شرط آخر له، إلا أن الأول شرط مطلق، بخلاف الثاني، حيث يسقط إذا تعذر، على ما بُيِّنَ في محله. مجموعة رسائله (صفحة ٢٢٢، مكتبة الإرشاد - إسطنبول).

ইমামের সাথে যুক্ত করেছেন। [18] (যদি ওই হাদীস না থাকতো, তাহলে তাকে শর্ত হিসেবে দেওয়া হতো না)। [19] এবং ওই সব আাছার (সাহাবি ও তাবেয়ী-র বক্তব্য) যাতে জুমআ-কে সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (সেগুলো আমরা ৮ নং টীকায় উল্লেখ করেছি)। বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام، وكيف وقد روى ابن ماجة (فذكر الحديث، ثم قال) ومن هذا أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان.. أو لمن أمره: كالنائب، والقاضي، والخطيب. عمدة القاري، ٢٣٢/٥.

আমরা (হানাফীগণ) ইমামের অনুমতি ব্যতীত জুমআ আদায় করা-কে জায়েজ মনে করিনা। কিভাবে জায়েজ মনে করব! অথচ, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন.. (তারপর হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি বলেন) আমাদের ইমামগণ এই হাদীস থেকে (দলিল) গ্রহণ করে বলেছেন: সুলতান ব্যতীত অন্য কারোর জন্য জুমআ কায়েম করা জায়েজ নেই। অথবা তিনি যাকে নির্দেশ দেন (সে ব্যতীত), যেমন: (তাঁর) প্রতিনিধি, কাজী, খতীব। উমদাতুল কারী, ৫/২৩২।

---

[18] وهو قول النبي ﷺ في حديث جابر رضي الله عنه: «أن الله قد افترض عليكم الجمعة.. فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا! ولا صلاة له.. حتى يتوب». هذا لفظ ابن ماجه، وسيأتي تخريجه.

قال الفقيه أبو الليث (٣٧٣ هـ) بعد إيراده: «شرَط الإمامَ». مختلف الرواية، ٤٨٤/١. ⋆ وقال السرخسي (٤٨٣ هـ): فقد شرط رسول الله -ﷺ- الإمام لإلحاقه الوعيد بتارك الجمعة. المبسوط، ٢٥/٢. ⋆ وقال الكاساني (٥٨٧): ولنا أن النبي -ﷺ- شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله في ذلك الحديث «وله إمام عادل أو جائر». بدائع الصنائع، ٢٦١/١. ⋆ وقال ابن مَازَةَ (٦١٦ هـ): أَلْحَقَ الوعيد الشديد بترك الجمعة بشرط أن يكون له إمام، والمراد به السلطان؛ لأنه وصفه بالعدل أو الجور، وذا إنما يتحقق من السلطان. ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف شرعا بخلاف القياس، فيراعى جميع ما ورد به النص، والنص ورد بإقامتها من السلطان. المحيط البرهاني، ٦٩/٢. ⋆ وقال السروجي (٧١٠ هـ): فاشترط الإمام، وهو السلطان لإلحاق الوعيد بتاركها. الغاية، ١٥٢/٥. ⋆ وقال السغناقي (٧١٤ هـ): أَلحَق الوعيد الشديد بترك الجمعة بشرط أن يكون له إمام، والمراد به: السلطان؛ لأنه وصفه بالعدل، والجور؛ وذلك إنما يتحقق من السلطان. النهاية (٦٩/٤، الكتاب مرقم آليا).

وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): وشَرَطَ فيه أن يكون له إمام. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة. ومثله لا يعرف إلا سماعا، فيحمل عليه. تبيين الحقائق، ٢١٩/١. وينظر: إمداد الفتاح للشرنبلالي (صفحة ٥٢٢، ت: بشار بكري)، حاشية الطحطاوي على المراقي، صفحة ٥٠٧.

....

وقال الكاكي (٧٤٩ هـ): ألحق الوعيد الشديد بتركها بشرط أن يكون له إمام. معراج الدراية، ٢٩٦/٢. ⋆ وقال العيني (٨٥٥ هـ): شرط فيه أن يكون له إمام. منحة السلوك، صفحة ١٧٢. ⋆ وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): حيث اشترط في لزومها الإمام، كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالا مع ما عيناه من المعنى سالمين من المعارض. فتح القدير، ٥٦/٢. وعينه في: فتح باب العناية (٤٠٤/١، ن: دار الأرقم). ⋆ وقال إبراهيم الحلبي (٩٥٦ هـ): فقد اشترط -عليه السلام- الإمام، وهو السلطان لإلحاق الوعيد بتاركها. غنية المتملي، ١٠٠/٣. ⋆ وقال شيخي زاده (١٠٧٨ هـ): شرط فيه أن يكون له إمام. مجمع الأنهر، ١٦٦/١. وينظر: الدرة الغراء للخَيْربَيْتي (صفحة ٢٧٦)، إرشاد الساري (١٦٨/٢)، إعلاء السنن (٧٥/٨، ٨٠؛ ت: شَبِّير أحمد القاسمي، المكتبة الأشرفية بديوبند)، كوثر المعاني، ٥٩/١٠.

تخريج الحديث:

● حديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٤٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧٥٤) وفضائل الأوقات (٢٦٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢٩٨/٢)، وابن عدي في الكامل (٢٩٨/٥)، والواحدي في التفسير الوسيط (١١٩٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٢٣)، واللالكائي (١٩٣٣)، والمزي في تهذيب الكمال (١٠٣/١٦)، كلهم من طريق الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله.

فيه: «١» علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه: قال ابن القطان: تركه قوم، وضعفه آخرون، ووثقه جماعة ومدحوه "بيان الوهم والإيهام (١٠٧٨)". قال الهيثمي في المجمع: «واختلف في الاحتجاج به، وقد وثق». قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وصالح الحديث، وإلى اللين ما هو "تاريخ دمشق (٥٠٠/٤١)". وقال الترمذي: صدوق "السنن، ٢٨٧٣"، وصحح له غير واحد من الأحاديث، وحسن له غير ما حديث. وقال العجلي: ليس بالقوي، وقال مرة: لا بأس به "الثقات". قال الذهبي: أحد الحفاظ، وليس بالثبت "الكاشف (٣٩١٦)"، وقال: صويلح الحديث "من تكلم فيه وهو موثق (٢٥٦، ت الرحيلي)، ميزان (١٠٧٥٨)"، وقال: صالح الحديث "المغني (٤٢٦٥)"، وقال أيضا: حسن الحديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم "ديوان الضعفاء (٢٩٢٦)". والأكثر على تضعيفه. قال الحافظ في التقريب (٤٧٣٤): "ضعيف".

«٢» وعبد الله بن محمد العدوي: متروك، رماه وكيع بالوضع "التقريب (٣٦٠١)". قال النووي في الخلاصة (٢٦٥٥): رواه ابن ماجه، والبيهقي وضعفه، في إسناده ضعيفان اهـ وينظر: المجموع، ٤٨٣/٤. وقال الضياء والبُلْقِيني: وكلاهما قد نُسب إلى الضعف. السنن والأحكام (٣٣٤/٢)، محاسن الاصطلاح، صفحة ٧٢٧. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي. مصباح الزجاجة، ١٢٨/١. «٣» والوليد بن بُكَير أبو جَناب: لين الحديث "التقريب (٧٤١٧)". قال العقيلي: وقد روي هذا الكلام من وجه آخر بإسناد آخر شبيه

....

بهذا في الضعف "الضعفاء الكبير، ٢٩٨/٢". قال العراقي: إسناد ضعيف "المغني عن حمل الأسفار، صفحة ٢١٠". وقال ابن القيم: وفيها ضعف "زاد المعاد، ٤١٠/١". وقال ابن الملقن: وهو حديث ضعيف "البدر المنير، ٤٣٤/٤".

وقال ابن قطلوبغا في التعريف والإخبار (٣٤٩): أخرجه ابن ماجه بإسناد واه اهـ. وقال السيوطي: وضعفه -أي البيهقي- "جمع الجوامع (٢٦٨٤٨)". قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢٧٨/٧): «وقال ابن عبد البر: جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث -يعني الذي أخرجه له ابن ماجه- من وضع عبد الله بن محمد العدوي، وهو عندهم موسوم بالكذب». ونحوه في لسان الميزان، ١٨٣/٨. وقال الألباني: إسناده واه جدا. إرواء الغليل، ٥١/٣.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٦١)، وفي الأحاديث الطوال (٢١)، والبيهقي في الكبرى (٥٦٣٩)، وفي فضائل الأوقات (٢٦١) وأبو نعيم في الحلية (٢٩٥/٨)، وأبو طاهر الأنباري في المشيخة (٩٥) من طريق فضيل بن مرزوق، عن الوليد، به. قال أبو حاتم: هو حديث منكر "العلل (١٨٧٨)". قال الذهبي: الخبر لا يصح من وجوه "المهذب (٤٩٥٩)". فضيل بن مرزوق: صدوق، يهم، ورمي بالتشيع "التقريب (٥٤٣٧)".

وأخرجه ابن فيل في جزئه (٤٨) من طريق فضيل بن مرزوق، عن الوليد بن بكير، عن الزهري، عن علي بن زيد، به.

[فائدة: قال ابن الملقن في البدر المنير (٤٣٤/٤): قلت: وتابع عبد الله: فضيل بن عياض، رواه أبو محمد بن حزم في كتاب «الإغراب» من طريق عبد الملك بن حبيب، عن أسد بن موسى وعلي بن معبد، كلاهما عن فضيل، عن علي بن زيد اهـ. قال في اللسان (٢٥٥/٥): ومن أغاليطه -عبد الملك بن حبيب-: ما رواه عن أسد بن موسى أنه حدثه عن الفضيل بن عياض، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر حديث: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة ... الحديث بطوله. قال ابن عبد البر: أفسد عبد الملك إسناده، وإنما رواه أسد بن موسى، عن الفضيل بن مرزوق، عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، فجعل: الفضيل بن عياض بدل الفضيل بن مرزوق، وأسقط الوليد وعبد الله، وهذا فيه ما لا خفاء به، وبالله العصمة، انتهى كلامه].

وأخرجه عبد بن حميد (١١٣٦، ت صبحي السامرائي) والقضاعي في مسند الشهاب (٧٢٤) وابن عساكر (٣١٢/٦١) من طريق بقية بن الوليد، عن حمزة بن حسان، عن علي بن زيد، به. فيه: حمزة بن حسان الجزري: وهو مجهول "[لسان، ٢٨٨/٣؛ ١٨٣/٨]". وبقية بن الوليد: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء "التقريب (٧٣٤)".

وأخرجه أبو يعلى (١٨٥٦) -وعنه ابن عدي (٢٩٩/٥)- عن عبد الغفار بن عبد الله، عن المعافى بن

....

عمران [ثقة]، عن فضيل بن مرزوق، عن الوليد، عن محمد بن علي الباقر [ثقة]، عن سعيد بن المسيب، به. فيه: عبد الغفار: ذكره ابن حبان في في الثقات (٨/٤٢١)، وروى الحاكم له حديثا في المستدرك (٥٠١٤) وصحح إسناده، وأقره الذهبي، وترجمه ابن أبي حاتم (٢٨٥) فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. [وقد روى له ابن عدي حديثا مما تلقنه (الكامل، ١٠٦/١، ذخيرة الحفاظ، ٢١٦٩/٤)، ولا شك أن الراوي إذا قبل التلقين كان قدحا فيما يروي، كما هو مبثوث في كتب المصطلح. قال ابن القطان: وإنه لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٨). وقد قال ابن عدي -قبل حديث البهيمة بأسطر-: "من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي، وذكر بعض من لقن". أفاده فاضل]. والوليد مجهول.

وأخرجه الدارقطني في العلل (٣٢٤٤) والأفراد (٣١) -ومن طريقه أورده البغدادي في تاريخ بغداد (٣٥٨/١٥، ت بشار)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١١/٦١)- وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٣٤٧/١) وابن حجر في اللسان (١٨٣/٨) من طريق زيد بن أبي الزرقاء [ثقة]، عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد، به. قال: الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري اهـ "الأفراد، طبقات الحنابلة، أطراف الغرائب (رقم: ١٥٥٦، ط. العلمية)". وقال الخطيب البغدادي: وهذا الحديث إنما يحفظ من رواية بقية بن الوليد، عن حمزة بن حسان، عن علي بن زيد، ولا نحفظه عن الثوري بوجه من الوجوه "تاريخ بغداد". وقال ابن رجب: وهذا إسناد قوي؛ إلا أن الحديث منكر "فتح الباري، ١٩٥/٦". وقال في إعلاء السنن (٧٨/٨): الحديث حسن.

وأخرجه الضياء -في الفتح المبين في المشيخة البلدانية (٢/ ١١٣٩، ن: دار البشائر)- من طريق فروة الحناط، عن أبي فاطمة، عن علي بن زيد، به. وفيه: "فمن تركها.. وله إمام عادل أو جائر". فيه: أبو فاطمة وهو مسكين بن عبد الله: ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٤٩)، وقال أبو داود: صالح الحديث "آجري". وقال أبو حاتم: وهن أمره "الجرح والتعديل (١٥٢٣)، العلل (٥٧٠ و ٦٠٧)"، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث "المؤتلف والمختلف (٦٦٧/٢)". وفروة الحناط: لم أقف على ترجمة له.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١٠١٢) عن شيخه ابن خزيمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، عن أبيه [ثقة]، عن حماد بن سلمة [ثقه]، عن علي بن زيد، به. وفيه: "فمن تركها في حياتي وبعد مماتي.. له إمام عادل أو جائر". وأعله بمحمد بن عبد الرحمن، فقال عنه: يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب. ونقل عن شيخه أنه قال: أنا خائف أنه كذاب. ⋆ [محمد بن عبد الرحمن بن غزوان؛ قال عنه أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم "الأسامي والكنى (٣٩٨٢)". وقال ابن عساكر: ضعيف "كنز العمال (٣٢٣٢٤)، جمع الجوامع (١٦٥٨٣)". وقال ابن عدي: له أحاديث عن ثقات الناس بواطيل، وهو ممن يتهم بوضع الحديث "الكامل". وقال الدارقطني: ضعيف "من تكلم فيهم الدارقطني في كتاب السنن (٣٤١)"، وقال: متروك "الضعفاء والمتروكين"، وقال: يضع الحديث "سؤالات الحاكم (١٢٨)"، وقال: وكان كذابا "تاريخ بغداد". وقال الحاكم:

روى أحاديث موضوعة "المدخل إلى الصحيح". وقال أبو نعيم: روى عن أبيه وغيره مناكير "الضعفاء (٢٣٠)". وقال البغدادي: حدث أحاديث منكرة "تاريخ بغداد (١٠٥٨)". وقال الذهبي: كذاب "سير، ٢٦١/٦". وقال العراقي: أحد الوضاعين "تخريج أحاديث الإحياء"].

وأخرجه الضياء في "المنتقى من مسموعات مرو (رقم: ٢٧٦) - مخطوط)" من طريق نصر بن حماد، عن محمد بن مطرف الغساني، عن زيد بن أسلم [ثقة]، عن جابر رضي الله عنه. وقال: حديث عال حسن الجوانب، ما سمعناه إلا من هذا الوجه. فيه: نصر بن حماد وهو ضعيف "التقريب (٧١٠٩)". [وأبو غسان محمد بن مطرف بن داود الليثي: ثقة "التقريب (٦٣٠٥)"]. وفي هذا الإسناد انقطاع، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من جابر "ينظر: تهذيب التهذيب (٢٢٢٤)".

وأخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٨٨) من طريق الحسن بن حماد أبو محمد الكريزي، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبادة بن عبد الله، عن طلحة بن عبيد الله، عن رسول الله ﷺ. وفيه: «فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام فلا جمع الله شمله». قال الشيخ الألباني في الإرواء (٥٢/٣): قلت: والحسن هذا ثقة، فروايته أولى بالتقديم من رواية مخالفه أبي جناب اهـ. قلت: زعم الشيخ أنه الحسنُ بن حماد الكوفي، لكن في مسند عمر مصرَّح بأنه أبو محمد الكُرَيزي، ولم أعرف من هو.

قال ابن رجب عن حديث حديث جابر بن عبد الله: وفي إسناده ضعف، واضطراب، واختلاف، قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم. فتح الباري، ٦٢/٨. ⋆ قال ابن عبد البر: لهذا الحديث طرق ليس فيها ما تقوم به حجة.. لكن وجدناه من رواية غيره، ثم ذكر: أن محمد بن وضاح - وكان ثقة - حدث به عن زهير بن عباد [وثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم؛ تهذيب التهذيب: ٢١٤٦]، عن بشر بن الحارث [ثقة]، عن فضيل [بن عياض: ثقة]، عن محمد بن إبراهيم [ثقة؛ التقريب: ٥٦٩١]، عن سعيد بن المسيب، به. (لسان، ١٨٣/٨). ثم قال: هذا الحديث وإن كان ضعيفا - لضعف زهير بن عباد - فإن فيه ما تسكن إليه النفس، من جهة اشتهار الحديث عند جماعة (تهذيب التهذيب، ٥٠٨/٤؛ لسان، ٥٢٨/٣). [عقبه ابن حجر بقوله: ولم أر لابن عبد البر في تضعيفه سلفا]. وقال ابن عبد البر: طرقه يقوى بعضها ببعض "تهذيب التهذيب". ⋆ قال العيني بعد إيراد حديث جابر: هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة، فحصل له بذلك قوة، فلا يمنع من الاحتجاج به. عمدة القاري، ٢٣٢/٥. ونحوه قال أيضًا في العمدة (١٩١/٦)، وفي البناية، ٥٠/٣.

● ولحديث جابر شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، فأخرج الطبراني في الأوسط (٧٢٤٦) من طريق موسى بن عطية الباهلي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا النبي ﷺ ذات يوم، فقال: «إن الله كتب عليكم الجمعة.. من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر إلخ». فيه: موسى بن عطة الباهلي لم أقف له على ترجمة، وفيه أيضا عطية العوفي: ضعيف. [قال الذهبي عنه: ضعيف "ميزان (٥٦٦٧)"، وقال: ضعفوه "الكاشف (٣٨٢٠)"،

....

وقال أيضا: مجمع على ضعفه "المغني (٤١٣٩)"].

● وقد رُوِيَ معنى هذا في الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، فأخرج ابن حبان في المجروحين (٢٩٧) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٨١)- وابن عدي (٤٨٠/٣) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن خالد بن عبد الدائم، عن نافع بن يزيد [ثقة]، عن زُهرة بن معبد [ثقة]، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله ﷺ؛ فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة.. ألا فمن تركها معي أو مع إمام بعدي عدل أو جائر إلخ. قال الدارقطني في العلل (١٧٢٧): اختلف فيه على سعيد بن المسيب، فرواه زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قاله خالد بن عبد الدائم، عن نافع بن يزيد عنه. وخالفه علي بن زيد بن جدعان، فرواه عن سعيد بن المسيب، عن جابر، وكلاهما غير ثابت اهـ. وينظر: التلخيص الحبير (١٨٩٨، ن: دار أضواء السلف). وقال البيهقي: وهو أيضا ضعيف "السنن الكبرى ٢٢٧/٦". وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح اهـ.

في إسناده: خالد بن عبد الدائم: قال عنه الحاكم وأبو نعيم: روى عن نافع بن يزيد أحادث موضوعة "المدخل إلى الصحيح (٥٠)، الضعفاء (٥٩)، المستخرج على صحيح مسلم (٦١)". وقال ابن حبان: يروي عن نافع بن يزيد المناكير، التي لا تشبه حديث الثقات، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة "المجروحين". وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه، وأرجو أنه لا بأس به؛ إذا حدث عن ثقة، وحدث عنه ثقة "الكامل". وقال الذهبي: ضعيف "ديوان الضعفاء، المغني".
⋆ والراوي عنه: زكريا بن يحيى أبو يحيى الوقار: قال ابن عدي: يضع الحديث ويوصلها، وقال صالح جزرة: كان من الكذابين الكبار "الكامل". وقال الدارقطني: منكر الحديث، متروك "السنن (١٢٦٥)"، وفي كتاب "من تكلم فيهم الدارقطني في كتاب السنن (١٣٥)" أنه قال: "ضعيف جدا". وقال ابن يونس: كان يحدث بمناكير، وقال أبو العرب التميمي: في حديثه لين كثير "لسان الميزان". وقال الذهبي: كذاب "ديوان الضعفاء"، وقال أيضا: اتهم بالكذب "المغني".

● احتجَّ القائلون بعدمِ اشتراطِ السلطانِ أو إذنِه في إقامةِ الجمعةِ بدلائلَ، منها:

١. قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} فعم، ولم يشترط إذن السلطان. (المعونة، صفحة ٣٠٥).

قال ابن الهمام (٨٦١ هـ): ولا شك أن إطلاق قوله تعالى {فاسعوا} [الجمعة: 9] مقيد بخصوص مكان، ومخصوص منه كثير كالعبيد والمسافرين، فجاز تخصيصه بظني آخر فيخص بمن أمره السلطان أيضا. فتح القدير، ٥٦/٢.

٢. ولأن السلطان لا يكون شرطا في وجوب الصلوات اعتبارا بسائر الصلوات. المعونة، صفحة ٣٠٥. وينظر: شرح التلقين (٩٥٥/١)، المجموع (٥٨٤/٤)، النجم الوهاج (٤٦١/٢)، المغني، ٢٠٧/٣.

....

قال الجصاص (٣٧٠ هـ): وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردا. شرح مختصر الطحاوي، ١٢٦/٢. وفي المحيط البرهاني (٦٩/٢): وقوله: بأن هذه صلاة مكتوبة كسائر الصلوات، قلنا: نعم هذه مكتوبة إما ليست كسائر الصلوات فإنه يشترط لها من الشرائط ما لا يشترط كسائر الصلوات، بل هي صلاة عرف لها من النص فتعرف شرائطها من النص، لا في سائر المكتوبات اهـ. وقال العيني (٨٥٥ هـ): وقياسهم على سائر الصلوات فاسد، لأن الجمعة يشترط لها ما لم يشترط لغيرها من الصلوات مثل الخطبة والجماعة. فإن قلت: هذا عبادة على البدن فلا يكون السلطان شرطا فيها كما في الحج والصوم. قلت: هذا مبطل بإقامة الحد، وانفراد الواحد بالحج لا يفوت على غيره، وانفراد طائفة بإقامة الجمعة يفوت على الباقين، فافهم. البناية، ٥١/٣.

٣. قال النووي: واحتج أصحابنا بقصة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب. المجموع (٥٨٤/٤)، ويراجع: المغني، ٢٠٦/٣.

قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): وحديث علي - رضي الله عنه - يحتمل أنه فعله بإذن عثمان فلا يلزم حجة مع الاحتمال. تبيين الحقائق، ٢١٩/١. وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): وما روي أن عليا - رضي الله عنه - أقام بالناس وعثمان - رضي الله عنه - محصور واقعة حال، فيجوز كونه عن إذنه كما يجوز كونه من غير إذنه فلا حجة فيه لفريق، فيبقى قوله ﷺ إلخ. فتح القدير (٥٦/٢) فذكر حديث جابر رضي الله عنه. ونحوه في فتح باب العناية، ٤٠٤/١. قال ابن مَازَة (٦١٦ هـ): والاحتجاج بحديث علي رضي الله عنه لا يصح لأنه يحتمل أنه فعل ذلك بإذن عثمان رضي الله عنه، فلا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال أو إن فعل بغير إذنه وإنما يفعل أن الناس اجتمعوا عليه وعند ذلك يجوز. المحيط البرهاني، ٦٩/٢. وقال السغناقي (٧١٤ هـ): والاحتجاج بحديث علي - رضي الله عنه - لا يصح؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك بإذن عثمان - رضي الله عنه -، والمحتمل لا يصلح حجة، ولو فعل بغير إذنه إنما فعل؛ لأن الناس اجتمعوا عليه، وعند ذلك يجوز؛ لأن الناس احتاجوا إلى إقامة الفرض فاعتبر إجماعهم (النهاية)، ومثله في العناية، ٥٥/٢. وقال الكاكي (٧٤٩ هـ): وأما الاحتجاج بحديث علي؛ فلا يصح؛ لاحتمال أنه فعل ذلك بإذن عثمان رضي الله عنه وإن لم ينقل، والمحتمل لا يصلح حجة، ولو فعل بغير إذنه إنما فعل؛ لأن الناس اجتمعوا عليه، وعند ذلك يجوز. معراج الدراية، ٢٩٦/٢. وقال العيني (٨٥٥ هـ): واحتجاجهم بما روي عن عثمان - رضي الله عنه - ساقط، لأنه يحتمل أن عليا - رضي الله عنه - فعل ذلك بأمره أو لم يتوصل إلى عثمان، وعندنا إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام، فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم، كذا ذكره الشيخ أبو نصر البغدادي - رحمه الله - فمن أين يعلم أن عليا - رضي الله عنه - فعل ذلك بلا إذن عثمان وهو حيث يتوصل إلى إذنه؟. البناية، ٥٠/٣.

[19] كما يَظهر من كلام صاحب المحيط البرهاني: ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف شرعا بخلاف القياس، فيراعى جميع ما ورد به النص، والنص ورد بإقامتها من السلطان اهـ.

চার. শর্তটি কখন, কোথায় প্রযোজ্য?

যদি সুলতান থেকে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়, তবে সেক্ষেত্রে সুলতানের শর্ত ধর্তব্য হবে। আর {১} যদি সুলতান বা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকে, কিংবা {২} তাঁর থেকে অনুমতি নেওয়া সম্ভব না হয়, অথবা {৩} সে একগুঁয়েমিবশত এবং ক্ষতি সাধনের জন্য জুমআ আদায়ে নিষেধ করে; তাহলে এক্ষেত্রে জরূরতের কারণে সুলতানের শর্ত প্রযোজ্য নয়।

১.

সারাখসী রহ. (৪৮৩ হি.) বলেন,

(قال): "رجل صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب الشرط أو القاضي لم يجزئهم" لما بيّنّا أن السلطان شرط لإقامتها، وقد عدم، ولم يذكر: أنه لو مات من يصلي الجمعة بالناس، فاجتمعوا على رجل فصلى بهم الجمعة هل يجزئهم؟ والصحيح أنه يجزئهم، فقد ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى: "أنه لو مات عامل إفريقية، فاجتمع الناس على رجل، فصلى بهم الجمعة، أجزأهم؛ لأن عثمان -رحمه الله تعالى- لما حصر، اجتمع الناس على علي -رضي الله عنه-، فصلى بهم الجمعة". ولأن الخليفة إنما يأمر بذلك نظرا منه لهم، فإذا نظروا لأنفسهم، واتفقوا عليه؛ كان ذلك بمنزلة أمر الخليفة إياه. المبسوط، ٣٤/٢.

মুহাম্মদ (রহ.) বলেন: "এক ব্যক্তি ইমাম বা তার প্রতিনিধি বা পুলিশ প্রধান বা কাজী-র অনুমতি ব্যতীত মানুষদের নিয়ে জুমআর সালাত পড়েছে; তাহলে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না"; কেননা, আমরা বর্ণনা করেছি যে, জুমআ কায়েমের জন্য সুলতান শর্ত, আর তা পাওয়া যায়নি। তিনি এই মাসআলা উল্লেখ করেননি যে, যিনি (শাসনকর্তা) মানুষদের নিয়ে জুমআ আদায় করেন, তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর মুসল্লীগণ এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হয় এবং সে তাদেরকে নিয়ে জুমআ পড়ে, তাহলে কী তাদের জন্য যথেষ্ট হবে? বিশুদ্ধ মত হলো- তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। ইবনে রুস্তুম, মুহাম্মদ -রহিমাহুমাল্লাহু তাআলা- থেকে উল্লেখ করেছেন যে, "যদি আফ্রিকার প্রশাসক মৃত্যু বরণ করে, তারপর মানুষ এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হয়, সে তাদের নিয়ে জুমআ পড়ে; তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, উসমান -রহিমাহুল্লাহু তাআলা- যখন অবরুদ্ধ হোন, তখন মানুষ আলী রাদিআল্লাহু আনহু-র (ইমামতির) ব্যাপারে একমত হয়, তিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করেন"। তাছাড়া খলীফা এই ব্যাপারে কাউকে নির্দেশ দিবেন- জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তো যখন তারা নিজেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে কারো ব্যাপারে একমত হয়েছে; তখন সেটা ওই ব্যক্তিকে খলীফা নির্দেশ করার পর্যায়ে হবে। আল-মাবসূত, ২/৩৪।

তাহের বিন আহমদ বুখারী রহ. (৫৪২ হি.) বলেন,

والي مصر مات، ولم يبلغ الخليفة موته، حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي أجزأهم، ولو اجتمعت العامة على تقديم رجل لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لم يجز، ولم تكن جمعة. ولو لم يكن ثمة قاض، ولا خليفة الميت، فاجتمع العامة على تقديم رجل، جاز للضرورة. خلاصة الفتاوى (٢٠٨/١؛ مكتبه حقانيه)، ونقله عنه في البحر، ١٥٥/٢.

কোনো শহরের শাসনকর্তা মৃত্যু বরণ করল। খলীফার কাছে তার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল না। এমতাবস্থায় কয়েক জুমআ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মৃতের খলীফা, সেনাপ্রধান বা কাজী (বিচারক) যদি তাদেরকে নিয়ে জুমআ আদায় করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি জনসাধারণ (জুমআর ইমামতির জন্য) কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করার ব্যাপারে একমত হয়, যাকে কাজী বা মৃতের খলীফা আদেশ করেনি, তাহলে জায়েয হবে না এবং জুমআ আদায় হবে না। পক্ষান্তরে সেখানে যদি কোনো কাজী না থাকে বা মৃত প্রশাসকের প্রতিনিধিও না থাকে, আর জনসাধারণ কাউকে অগ্রসর করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে জরুরতের কারণে তা জায়েয হবে। -খোলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/২০৮।

কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন,

وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه... هذا إذا كان السلطان أو نائبه حاضرا. فأما إذا لم يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت، ولم يحضر وال آخر بعد، حتى حضرت الجمعة، ذكر الكرخي: أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل، حتى يصلي بهم الجمعة. وهكذا روي عن محمد..؛ لما روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه لما حوصر، قدم الناس عليا -رضي الله عنه-، فصلى بهم الجمعة. بدائع الصنائع، ٢٦١/١.

আমাদের নিকট জুমআ আদায়ের জন্য সুলতান শর্ত। সুলতান বা তার নায়েবের উপস্থিতি ছাড়া জুমআ কায়েম করা সহীহ নয়।.. এই বিধান হল, যখন সুলতান বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। পক্ষান্তরে ফেতনা কিংবা মৃত্যুর কারণে যদি সুলতান না থাকেন এবং আরেকজন নিয়োগের আগেই জুমআর সময় হয়ে যায়; কারখী রহ. বলেছেন: এক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই যে, জনসাধারণ কোনো একজন ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হবে, যে তাদেরকে নিয়ে জুমআ আদায় করবে। মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে এমনটিই বর্ণিত রয়েছে। কারণ উসমান রা.কে যখন অবরুদ্ধ করা হয়, তখন জনসাধারণ আলী রা.কে আগে বাড়িয়ে দেয়। তিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করেন। -বাদায়েউস সানায়ে ১/২৬১।

কাজীখান রহ. (৫৯২ হি.) বলেন,

والي المصر إذا مات، فجاء يوم الجمعة، إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت، أو صاحب الشرطة، أو القاضي: جاز.. ولو اجتمع العامة على تقديم رجل، لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت: لم يجز، ولم يكن جمعة. وإن لم يكن ثمة قاض، ولا خليفة الميت، فاجتمع العامة على تقديم رجل: جاز؛ لمكان الضرورة. فتاوى قاضيخان (١٠٩/١؛ المكتبة الأشرفية).

যখন কোন শহরের প্রশাসক মৃত্যু বরণ করে, অতঃপর জুমআর দিন এসে যায়। যদি মৃতের প্রতিনিধি বা পুলিশ প্রধান, বা কাজী (বিচারক) তাদেরকে নিয়ে জুমআর সালাত আদায় করে; তাহলে জায়েজ আছে। আর যদি জনসাধারণ এমন কোন ব্যক্তিকে অগ্রসর করার ব্যাপারে একমত হয়, যাকে কাজী বা মৃতের প্রতিনিধি কেউ নির্দেশ করেনি; তাহলে জায়েজ হবে না এবং জুমআ আদায় হবে না। কিন্তু যদি সেখানে কাজী বা মৃতের প্রতিনিধি কেউ না থাকে, আর জনসাধারণ (জুমআর সালাত পড়ানোর জন্য) কাউকে অগ্রসর করার ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে জরূরতের কারণে তা জায়েজ আছে। -ফাতাওয়া কাজীখান, ১/১০৯।

আলী মারগিনানী রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

والي مصر مات، ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب شرطة أو متولى القضاء جاز.. ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا، لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لا يجوز، ولم يكن لهم جمعة.. إلا إذا كان لم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت، بأن كان الكل هو الميت، فحينئذ جاز للضرورة، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس. التجنيس والمزيد (٢٠٠/٢؛ إدارة القرآن - كراتشي).

কোনো শহরের শাসনকর্তা মৃত্যু বরণ করে এবং খলীফার কাছে তার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় কয়েক জুমআ অতিবাহিত হয়ে গেল। যদি মৃতের খলীফা, পুলিশপ্রধান বা কাজী (বিচারক) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করে; তাহলে তাদের জুমআ সহীহ হবে।.. কিন্তু যদি জনসাধারণ কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করার ব্যাপারে একমত হয়; যাকে কাজী বা মৃতের খলীফা আদেশ করেনি; তাহলে জায়েয হবে না এবং জুমআও আদায় হবে না।.. তবে হ্যাঁ, সেখানে যদি কাজী বা মৃত্যুবরণকারীর কোনো প্রতিনিধি না থাকে -যেমন মৃত ব্যক্তিই এই সবকিছুর দায়িত্বে ছিলো- তাহলে এসময় জরূরতের কারণে তা জায়েয হবে। দেখুন না, আলী রা. লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন! -আত-তাজনীস, ২/২০০।

হাসকাফী রহ. (১০৮৮ হি.) বলেন,

مات والي مصر فجمَّع خليفته أو صاحب الشَرَط.. أو القاضي:.. جاز.. ونصب العامة

الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم فيجوز للضرورة. الدر المختار، صفحة ١٠٨.

কোন শহরের প্রশাসক মৃত্যু বরণ করল, তারপর তার প্রতিনিধি, পুলিশ প্রধান, বা কাজী জুমআর সালাত পড়ায়; তাহলে জায়েজ আছে।.. বর্ণিত কারো উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও (সাধারণ মানুষ কর্তৃক) খতীব নিয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়, তবে তাদের কারো না থাকা অবস্থায় জরূরতের কারণে তা জায়েয। -আদ্দুরুল মুখতার, পৃষ্ঠা: ১০৮।

তাঁদের অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যগুলো টীকায় তুলে দিচ্ছি, প্রয়োজন হলে- পাঠক পড়ে নিবেন। [20]

---

[20]قال سراج الدين علي الفرغاني (٥٧٥ هـ): والي مصر مات، فصلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشُّرَط أو القاضي جاز. فإن لم يكن ثمة واحد منهم، واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز. الفتاوى السِّراجية (صفحة ١٠٤؛ مكتبه تهاتوى - ديوبند). ونُقله عنه في: الفتاوى الهندية، ١٤٦/١. ⋆ وقال القاضي الغزنوي (٥٩٣ هـ): وإذا مات والي مصر، فجمع بهم خليفة الميت، أو صاحب الشرطة، أو القاضي، أو جمع الناس على رجل، فجمع بهم بغير إذن الخليفة، جاز. الحاوي القدسي (١/ ٢٣٧، دار النوادر - الكويت). ⋆ وقال ابن مَازَةَ (٦١٦ هـ): والي مصر مات، ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز.. ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا مع قيام واحد من هؤلاء الذين ذكرنا من غير أمرهم لم يجز؛ لأنه لم يفوض إليهم أمورهم إلا إذا لم يكن ثمة قاضي ولا خليفة الميت بأن كان الكل هو الميت حينئذ، جاز لضرورة. ألا ترى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس يوم الجمعة، وعثمان رضي الله عنه محصور؛ لأن الناس اجتمعوا على علي رضي الله عنه. المحيط البرهاني، ٦٩/٢-٧٠. ونقله عنه في التاتارخانية، ٢/ ٥٥٦-٥٥٧. وينظر: الدرة الغراء للخَيْربَيْتي، صفحة ٢٧٦.

قال شمس الدين السروجي (٧١٠ هـ): ولو مات الوالي، ولم يبلغ الخليفة، فصلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطته، أو القاضي: جازت. فلو لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا، فاجتمعوا على واحد: جاز، كما صلى عليّ باجتماعهم عليه، وعثمان محصور. الغاية في شرح الهداية، ١٥٣/٥. ⋆ وقال فريد الدين الدهلوي (٧٨٦ هـ): وفي الفتاوى العتابية: وعن محمد: إذا تعذر إذن الإمام، جاز اجتماعهم على رجل يؤمهم، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز. الفتاوى التاتارخانية (٥٥٧/٢؛ ترتيب: شَبِّير أحمد القاسمي). ⋆ وقال البزّازي (٨٢٨ هـ): ولو اجتمعوا أعني: أهل البلدة على تقديم رجل: لا يصح، إلا إذا لم يكن للميت خليفة، ولا قاض، ولا شرطي: فحينئذ يصح؛ للضرورة. الفتاوى البزازية (٥٠/١؛ المكتبة الاشرفية). ⋆ وقال العيني (٨٥٥ هـ): والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع: فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب شرطة أو القاضي: جاز، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا من غير أمر الخليفة أو القاضي: لم يجز ولم يكن جمعة، كذا في العيون. منحة السلوك، صفحة ١٧٢.

....

قال ابن الهمام (٨٦١ هـ): قالوا: إذا مات السلطان وله أمراء على أشياء من أمور المسلمين فهم على ولاياتهم يقيمون الجمعة بخلاف ما لو اجتمعت العامة على تقديم رجل عند موت ذلك الوالي حيث لا تجوز إقامته. فتح القدير، ٥٥/٢. * وقال منلا خسرو (٨٨٥ هـ): (مات والي المصر فجمع) أي أقام الجمعة (بهم خليفة) أي الميت (أو صاحب الشَرَط).. (أو القاضي جاز) ؛ لأن أمر العامة مفوض إليهم.. (ولا عبرة لنصب العامة إلا إذا لم يوجد من ذكر). درر الحكام، ١٣٧/١. * وقال إبراهيم الحلبي (٩٥٦ هـ): فإن مات والي المصر فصلى بهم خليفته قبل إتيان والٍ آخر صح، وكذا لو صلى بهم القاضي أو صاحب الشرطة، فإن لم يكن أحد من هؤلاء، فاجتمع الناس على واحد، فصلى بهم جاز، ومع وجود أحدهم لا تجوز إلا بإذنه للضرورة هناك، لا هنا. ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة على أشياء من أمور العامة كان لهم إقامة الجمعة؛ لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يُعزَلوا. غنية المتملي، ١٠١/٣.

قال الشِّلبي (١٠٢١ هـ): والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة، حتى مضت به الجمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطة أو القاضي جاز؛ لأنه فوض إليهم أمر العامة. ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا من غير أمر خليفة الميت، أو القاضي: لم يجز، ولم تكن جمعة؛ لأنه لم يفوض إليهم أمرهم، إلا إذا لم يكن فيهم قاض، ولا خليفة الميت، بأن كان الكل هو الميت، فحينئذ يجوز؛ لأجل الضرورة، ألا ترى أن عليا -رضي الله عنه- صلى بالناس وعثمان -رضي الله عنه- محصور، لما اجتمع الناس على علي -رضي الله عنه-. حاشيته مع التبيين، ٢١٩/١. * وقال الحصكفي (١٠٨٨ هـ): (مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط) بفتحتين حاكم السياسة (أو القاضي المأذون له في ذلك جاز).. (ونصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم فيجوز) للضرورة اهـ. قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): (قوله مات والي مصر) وكذا لو لم يحضر بسبب الفتنة، بدائع (قوله: فجمع) بتشديد الميم أي صلى الجمعة خليفته.. (قوله أو صاحب الشرط).. خيار الجند وأول كتيبة تحضر الحرب.. في باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى.. (قوله مع وجود من ذكر) أي إذا كانوا مأذونين، كما مر. رد المحتار، ١٤٢/٢-١٤٣.

قال الطحطاوي (١٢٣١ هـ): وإذا لم يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة، واجتمع الناس على رجل، فصلى بهم جاز؛ للضرورة، كما فعل علي في محاصرة عثمان رضي الله عنهما، وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر، لا يجوز؛ لعدم الضرورة، وروي ذلك عن محمد في العيون، وهو الصحيح. حاشيته على المراقي، صفحة ٥٠٧. * في الموسوعة الكويتية (١٩٧/٢٧): الشرط الثاني: واشترطه الحنفية، إذن السلطان بذلك، أو حضوره، أو حضور نائب رسمي عنه.. هذا إذا كان ثمة إمام أو نائب عنه في البلدة التي تقام فيها الجمعة، فإذا لم يوجد أحدهما، لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك، وحضر وقت الجمعة كان للناس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي بهم الجمعة اهـ. وينظر: خزانة الأكمل (١٨٢/١، ط. العلمية).

....

◆ ***فائدة: هل شرط السلطان شرطٌ أوْلَوِيٌّ أم وجوبيٌّ؟***

قد أفاد الشيخ عبد الحي اللكنوي (١٣٠٤ هـ) أن السلطان أو نائبه يُشترط اشتراطًا أوْلَوِيًا، لا وجوبيًا؛ حيث قال: والفقه فيه على ما في «الهداية»، وغيرها: إن الجمعة تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وفي غيره؛ فلا بد من السلطان، أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع الحرج، وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إنما هو على سبيل الأولوية، حيث لا تتعدد الجمعة، وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك.. وفي «فتح المنان في تأييد مذهب النعمان» للشيخ عبد الحق دهلوي، بعد ذكر حاصل عبارة «الهداية»:.. هذا تقرير «الهداية»، وظاهره يفيد الأولوية والاحتياط عقلا، لا الاشتراطَ، وعدمَ جواز الصلاة بدونه شرعا، انتهى. اهـ. عمدة الرعاية (٢/ ٣٢١-٣٢٢؛ ط. العلمية).

وكذا أفاده غير واحد من الأفاضل أيضا، مثلًا: قال الشيخ أشرف علي التهانوي (١٣٦٢ هـ) بعد إيراد عبارة الهداية أولا، وعبارة الدر ثانيا: روایت اولیٰ سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذاتہ نہیں ہے بلکہ بحکمت سد فتنہ کے ہے پس اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جاوے تو معنًی یہ شرط مفقود نہ ہوگی، چنانچہ روایت ثانیہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ امداد الفتاوی -جدید- (٣/٢٠-٢١؛ امام یا سلطان کی شرط کیسی اور کیوں؟). وقال أيضا: مجموعہ روایات بالا سے امور ذیل مستفاد ہوئے.. دوم: سلطان کا اشتراط معلل ہے قطع تنازع کے ساتھ، پس اگر عامہ مسلمین ملکر کسی پر اتفاق کر لیں گو وہ حاکم نہ ہو تو کافی ہے (ثم ناقضه بما قاله فيما بعد)؛ البتہ امام کے ہوتے ہوئے عامہ کا مقرر کر لینا کافی نہیں۔ المصدر السابق، ٣/١٦٩-١٧٠.

وقال الشيخ محمد يوسف الُدهِيَانوي (٢٠٠٠ مـ): جمعہ کے جواز کے لئے.. حاکم یا قاضی کی شرط قطعِ نزاع کے لئے ہے، اگر مسلمان کسی امام پر متفق ہوں تو اس کی اقتدا میں جمعہ جائز ہے، گویا آپ نے جو.. شرطیں ذکر کی ہیں، یہ.. غیر ضروری ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، ٤٦٨/٢. ⋆ وفي فتاوی حقانیہ (٣/ ٤٠٤-٤٠٥): فقہی ذخائر کی عبارات پر غور کرنے سے اس شرط کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ سلطان یا اس کے نائب کا وجود مقصود بالذات نہیں بلکہ فتنہ کے سدِّ باب کے لیے ہے، لہذا اگر مسلمان باہمی رضا مندی سے کسی اور شخص کو امامتِ جمعہ کے لیے مقرر کریں تو اس کی اتباع میں ادائیگی جمعہ میں کوئی شک نہیں اهـ. وينظر: فتاوی فریدیه، ١٥٠/٣.

وفي فتوى للجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاون - كراتشي: واضح رہے کہ اسلامی ممالک میں جمعہ کے قیام کے لیے حاکمِ وقت کی اجازت انتظامی معاملات کی وجہ سے ضروری ہے؛ تاکہ لوگوں میں یہ اختلاف نہ ہو کہ کون جمعہ کی نماز پڑھائے گا؛ کیوں کہ جمعہ کا خطبہ دینا اور نماز پڑھانا بہت بڑا شرف ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود جمعہ پڑھانا چاہیں اور بعض اپنی

২.

কুদূরী রহ. (৪২৮ হি.) বলেন,

قال أبو الحسن: "لا تجوز الصلاة إلا بإذن إمام المسلمين ما أمكن استئذانه في ذلك، فإن منع منه مانع لغيبة أو موت قبل أن يلي أمره غيره، فلا بأس أن يجتمع الناس على رجل يصلي بهم". أما اعتبار إذن الإمام مع الإمكان، فقد بيّناه ، فإذا تعذر ذلك

پسند سے کسی کو جمعہ پڑھانے کے لیے آگے کرنا چاہیں، جس سے باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ حاکمِ وقت کی اجازت ان اختلافات سے بچنے کے لیے ضروری ہے، حاکم وقت کی اجازت پر جمعہ کا واجب ہونا یا واجب نہ ہونا موقوف نہیں ہے۔ (جمعہ کے لیے حاکمِ وقت کی شرط، فتوی نمبر: .(144107200970

جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے.. مسلمان حاکم کی اجازت ہونا لازم نہیں.. یہ جو بات ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مسلمان حکومت ہونا اور حاکم کی طرف سے جمعہ پڑھانے کی اجازت ہونا جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے تو فقہی ذخیرے کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط جمعہ کے صحیح ہونے کی لازمی شرط نہیں ہے.. بلکہ یہ ایک انتظامی شرط ہے، جو بد انتظامی اور فتنے سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہے، کیونکہ جمعہ پڑھانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اگر اس کی تفویض کا کام حاکم کے ذمے نہ لگایا جائے تو ممکن ہے کہ اس اعزاز کو پانے کے لیے لوگوں میں باہم اختلافات پیدا ہوجائیں، اس اختلاف سے بچنے کے لیے حاکم کی شرط لگائی گئی۔ (جمعہ کے لیے حاکم کی شرط کا حکم - دار الإفتاء فتاوی يَسْئَلُوْنَكَ، فتوی نمبر: 8604؛ https://www.yasalunak.com/fatwa-print/84793).

قلت: في هذه التقريراتِ، وكذا فيما حرّره الشيخ اللّكنويُّ، نظرٌ؛ فإن تصريح علمائنا، وغيرهم من أهل المذاهب، ظاهرٌ بيِّنٌ في أنَّه شرطٌ وجوبيٌّ لا أَوْلَوِيٌّ؛ إذ صرّحوا بأن مذهبنا أنه لا تصح الجمعة إلا خلف الإمام أو مَن أذِنَ له. وعلى قول الشيخَين — أبي حنيفة وأبي يوسف — لا تجوز إقامة الجمعة بحالٍ بدون السلطان. ولو كان ذلك شرطا أَوْلَوِيًّا، فلماذا حكموا على الجمعة بدون السلطان بعدمِ الجوازِ وعدمِ الصحّة؟! وهل يُقال لترك الأمر المندوب: إن الصلاة لا تجوز ولا تصح؟ والإمام محمدٌ ومشائخُنا: اعتبروا ذلك أيضا شرطا وجوبيا؛ (ولذا لو قدم الناس رجلا يصلي بهم، ونائب السلطان حاضر هناك، فلم يأذن، قالوا: لا تجوز الجمعة — كما مر في أقوالهم —، ولو كان شرطا أَوْلَوِيًّا لصحّتِ الجمعةُ، وليس كذلك). وإنما أجازوا إقامة الجمعة للعامة — عند وجودِ السببِ الذي لأجلِه لم يحضرِ السلطانُ أو نائبُه — ضرورةً؛ (ولفظ «الضرورة» لا يُطلق على الأمر الأَوْلَوِيِّ). وكذلك إذا كانت الولاة كفارا، جاز للعامةِ إقامة الجمعة للضرورة؛ إذ احتاجوا إلى إقامة الفرض، فاعتُبِر اجتماعهم على رجل يصلي بهم الجمعة. وأيضا: لو كان ذلك شرطا أَوْلَوِيًّا، لارتفعَ الخلافُ بين العلماءِ؛ فإنهم متفقون على استحباب الإستئذان. هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.

اعتبرنا اتفاق المسلمين؛ لأن عثمان لما حصر، قدّم الناس عليا فصلى بهم الجمعة؛ ولأنه لا يتوصل إلى استئذان الإمام، وإنما جاز للإمام التصرف برضا المسلمين، فإذا رضوا في هذا الحال، قام من رضوا به مقامه. شرح مختصر الكرخي (٥١٩/١، ن: أسفار - الكويت).

আবুল হাসান (কারখী রহ.) বলেন: "ইমামুল মুসলিমীনের অনুমতি ব্যতীত জুমআ জায়েজ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অনুমতি নেওয়া সম্ভব হবে। যদি অনুপস্থিতি কিংবা তাঁর অন্য কাউকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণের কারণে অনুমতি নেওয়াতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়; তাহলে অসুবিধা নেই যে, মানুষ (যোগ্য) এমন কারো ব্যাপারে একমত হবে, যে তাদেরকে নিয়ে জুমআ পড়বে"।

(অনুমতি নেয়ার) সক্ষমতার সময় ইমামের অনুমতির বিবেচনা করার কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যখন সেটা অসম্ভব হয়ে গেল, তখন আমরা মুসলিমদের ঐক্যমত্য কে বিবেচনা করবো; কেননা, যখন উসমান (রা.) অবরুদ্ধ হোন, তখন মানুষ আলী (রা.) কে অগ্রসর করে দেয়, আর তিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করেন। তাছাড়া ইমামের অনুমতি পর্যন্ত পৌঁছা যাচ্ছেনা, আর ইমামের জন্য জায়েজ রয়েছে যে, তিনি মুসলিমদের সন্তুষ্ট মত অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করবেন, তো যখন তারা এই পরিস্থিতিতে নিজেদের এপদক্ষেপের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তখন এটা মুসলিমদের সন্তুষ্ট মত অনুযায়ী সুলতানের কার্য সম্পন্ন করার পর্যায়ে হবে। শরহু মুখতাসারিল কারখী, ১/৫১৯।

আবু নসর বাগদাদী রহ. (৪৭৪ হি.) বলেন,

عندنا إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام، فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم، وكذلك فعلوا في زمن عثمان رضي الله عنه حين حُصر. شرح مختصر القدوري (٥٠٦/٢، ن: دار المنهاج القويم)، ونقله عنه العيني في البناية، ٥٠/٣.

আমাদের মাযহাব হল: যদি ইমামের অনুমতি নেয়ার কোনো পন্থা না থাকে, তাহলে মানুষের জন্য জায়েজ আছে যে, একত্র হয়ে একজনকে অগ্রসর করে দেওয়া, যে তাদেরকে নিয়ে জুমআ পড়বে। এমনটিই তাঁরা করেছেন উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর যুগে, যখন তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়। শরহু মুখতাসারিল কুদূরী, ২/৫০৬।

ইবনু কামাল পাশা রহ. (৯৪০ হি.) বলেন,

(والسلطان أو نائبه) هذا إذا أمكن التوصل إلى أحد منهما، وأما إذا لم يمكن فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم. الإيضاح في شرح الإصلاح (١٦٢/١، ن: دار الكتب العلمية - بيروت).

“সুলতান বা তার প্রতিনিধি” এটা তখন, যখন তাদের কারো অনুমতি নেওয়া সম্ভব হবে। আর যদি (অনুমতি নেওয়া) সম্ভব না হয়, তবে মানুষের জন্য বৈধ আছে যে, তারা একমত হয়ে কাউকে আগে বাড়িয়ে দিবে, যে তাদেরকে নিয়ে জুমআ আদায় করবে। [21] আল-ঈজাহ ফী শরহিল ইসলাহ, ১/১৬২।

৩.

বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

وفي "الفتاوى الظهيرية": الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا؛ لم يجمعوا. قال الهِنْدُوَانيّ: هذا إذا منع لسبب من الأسباب، أما إذا منعهم تعنتا أو إضرارا بهم؛ يجوز أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة. [22] البناية، ٥١/٣. ونحوه في معراج الدراية، ٢٩٨/٢.

---

[21]قال الزمخشري (٥٣٨ هـ): ومن شروطها الإمام أو من يقوم مقامه.. فإن أم رجل بغير إذن الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب شرطة: لم يجز، فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم: جاز. الكشاف، ٥٣٤/٤. وقال الزاهدي (٦٥٨ هـ): ذكر الرازي عن الطحاوي: أنه إذا تعذر التوصل إلى إستئذان الإمام: جاز لأهل المصر أن يجتمعوا على من يجمع بهم. المجتبى (١١/٢، ن: دار الرياحين). قال البابرتي (٧٨٦ هـ): إنما فعل -علي- لأن الناس اجتمعوا عليه، وعند ذلك يجوز؛ لأن الناس احتاجوا إلى إقامة الفرض فاعتبر اجتماعهم. العناية، ٥٥/٢. وقال نحوه السغناقي (٧١٤ هـ) في النهاية (٦٩/٤، الكتاب مرقم آليا - الشاملة). * وقال العيني (٨٥٥ هـ): نقول: إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام، فللناس أن يجتمعوا، ويقدموا من يصلي بهم. العمدة، ١٩١/٦. * وقال القُهُسْتَاني (٩٦٢ هـ): (والسلطان) أي الخليفة.. وهذا إذا أمكن استئذانه، وإلا فالسلطان ليس بشرط، فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جاز، كما في الجلابي وغيره. جامع الرموز (صفحة ١٤٧، ط. مظهر العجايب - كلكته). * وفي الفتاوى الهندية (١٤٦/١): ولو تعذر الاستئذان من الإمام، فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة: جاز، كذا في التهذيب اهـ.

[22] قال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): وأشار المصنف -رحمه الله تعالى- إلى أن الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا، كما أن له يمصر موضعا، كان له أن ينهاهم، قال الفقيه أبو جعفر: هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من الأسباب، وأراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مصرا. أما إذا نهاهم متعنتا أو إضرارا بهم، فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة.. كذا في الخلاصة. البحر الرائق، ١٥٧/٢. وقال سراج الدين ابن نجيم (١٠٠٥ هـ): ولو نهى السلطان عن التجميع صح نهيه، وقيد أبو جعفر بما إذا كان عن اجتهاد، لا إن كان تعنتا أو إضرارا، ولهم أن يجتمعوا على رجل ليصلي بهم. النهر الفائق، ٣٥٦/١-٣٥٧. وفي الفتاوى الهندية (١٤٦/١): الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا، قال الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى-: هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من الأسباب، وأراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا. فأما إذا نهاهم متعنتا أو ضرارا بهم،

আল-ফাতাওয়াজ জহীরিয়্যা-তে রয়েছে: ইমাম যদি শহরবাসীকে (জুমআ আদায়ের উদ্দেশ্যে) একত্রিত হতে নিষেধ করে, তবে তারা একত্রিত হবে না। হিন্দুওয়ানী (রহ.) বলেন: এটা তখন যখন তিনি (শরয়ী যৌক্তিক) কোন কারণে নিষেধ করবেন। আর যদি সে একগুঁয়েমিবশত অথবা তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য নিষেধ করে, তাহলে তারা সম্মতিক্রমে একজনকে জুমআর জন্য নির্ধারণ করে তার পেছনে জুমআ পড়তে পারবে। আল-বিনায়া, ৩/৫১।

৪. শাসক কাফির হলে- সেখানে জুমআর বিধান

অনুরূপভাবে যদি মুসলিম সুলতানই না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রেও (জরূরতের কারণে) সুলতানের শর্ত প্রযোজ্য নয়।

কিওয়ামুদ্দীন কাকী রহ. (৭৪৯ হি.) বলেন,

وأما بلاد عليها ولاة كفار؛ يجوز للمسلمين إقامة الجمعة، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. معراج الدراية، ٢٩٧/٢. ونقله عنه في: الفتاوى الهندية (١٤٦/١)، ورد المحتار (١٤٤/٢)، وعمدة الرعاية (٣٢٢/٢، ط. العلمية).

যেসব দেশে কাফের শাসনকর্তা অধিষ্ঠিত, সেখানে মুসলিমদের জন্য জুমআ কায়েম করা জায়েজ। এবং মুসলিমদের সন্তুষ্টিক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযী শরঈ কাযী গণ্য হবে। আর তাদের উপর আবশ্যক হলো, একজন মুসলিম প্রশাসক তালাশ করা। মিরাজুদ দিরায়া, ২/২৯৭।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

وإذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقلد منه، كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن، وبلنسية، وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم، يجعلونه واليا، فيولى قاضيا، أو يكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم

فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، كذا في الظهيرية اهـ. (ونصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة "الدر المختار". قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): (قوله فيجوز للضرورة) ومثله ما لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضرارا، وتعنتا، فلهم أن يجمعوا على رجل، يصلي بهم الجمعة. أما إذا أراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مصرا لسبب من الأسباب؛ فلا، كما في البحر، ملخصا عن الخلاصة. رد المحتار، ١٤٣/٢.

الجمعة. فتح القدير (٢٦٤/٧)، ونُقله عنه في: رد المحتار، ٣٦٩/٥.

যখন সুলতান বা এমন (কর্তৃত্বের অধিকারী) ব্যক্তি না থাকে, যিনি কাজী নিয়োগ দিতে পারেন, যেমন বর্তমান মরোক্কোর কর্ডোবা, ভ্যালেন্সিয়া ও আবিসিনিয়ার মতো যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে কাফেররা বিজয় লাভ করেছে এবং মুসলিমদের থেকে সম্পদ গ্রহণের বিনিময়ে তাদেরকে সেখানে বহাল রেখেছে। সেসব অঞ্চলের মুসলিমদের ওপর ফরজ হলো- একমত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে শাসক নির্ধারিত করা। যিনি তাদের জন্য বিচারক নিয়োগ দিবেন বা নিজে তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। একইভাবে তাদের ওপর ফরজ হচ্ছে- একজন ইমাম নিয়োগ করা, যিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করবেন। -ফাতহুল কাদীর, ৭/২৬৪।

ইবনু আবিদীন শামী রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة، ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة، نصب العامة لهم خطيبا للضرورة، كما سيأتي، مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا؛ وبهذا ظهر جهل من يقول: لا تصح الجمعة في أيام الفتنة، مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار، كما سنذكره. [23] رد المحتار، ١٣٨/٢.

---

[23] قال ابن قاضي سِمَاوْنَة (٨٢٣ هـ): وأما في بلاد عليها ولاة كفار، فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب وال مسلم. جامع الفصولَين، ١٤/١. ونقله عنه في: رد المحتار، ١٧٥/٤. ⋆ وقال عبد العلي اللكهنوي (١٢٢٥ هـ): ثم المشايخ قالوا: لو كان الكافر والي بلدة فيجب على مسلمي تلك البلدة أن يقوموا الجمعة، ويسقط شرط الإمام عنهم، إلا أنه يجب عليهم طلب إمام مسلم ينصبونه. رسائل الأركان (صفحة ٣٣١، ن: دار الكتب العلمية). ⋆ وقال الطحطاوي (١٢٣١ هـ): وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب على المسلمين ولاة الكفار، يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. حاشيته على المراقي، صفحة ٥٠٧. وينظر أيضا: رد المحتار، ٣٦٩/٥. ⋆ قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (١٣٢٣ هـ): البتہ قصبہ یا شہر میں اگر غلبہ کفار کا ہو اور اپنا امام خطیب مقرر کر کے جمعہ ادا کریں جیسا اب مروج ہے تو جمعہ ادا ہو جاتا ہے ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ (فتاری رشیدیہ، ٢/ ٧٦؛ ط المكتبة الحنفية).

وقال الشيخ كفايت الله الدهلوي (١٣٧٢ هـ): جمعہ فرض قطعی ہے اور ہندوستان اگرچہ دار الحرب ہو پھر بھی یہاں اقامت جمعہ فرض ہے۔ یہاں جمعہ ہی ادا کرنا چاہئیے نہ کہ ظہر، کتب فتاوی فقہیہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ كفايت المفتى (٣/ ٢٤٥-٢٤٦؛ دار الاشاعت - كراچى). وقال أيضا: ہندوستان میں جمعہ فرض ہے اور امام (یعنی سلطان) اور مصر کی وہ تعریف جو نفاذ حدود احکام شرعیہ پر مشتمل ہے خود فقہائے حنفیہ کی تصریح سے متروک ہو

যদি শাসনকর্তা মৃত্যুবরণ করেন অথবা ফিতনার কারণে উপস্থিত না হতে পারেন এবং এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যার জুমআ কায়েমের অধিকার রয়েছে, তাহলে জরূরতের কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য একজন খতীব নিয়োগ দিবে, যেমনটি শীঘ্রই সামনে আসবে। অথচ এখানে আমীর কিংবা কাজী কেউ-ই নেই। এর থেকে ওই লোকের অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়, যে বলে- ফেতনার দিনগুলোতে জুমআ সহীহ হবে না। অথচ ওই সমস্ত দেশেও জুমআ সহীহ, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে, যেমনটি শীঘ্রই আমরা সামনে উল্লেখ করব। -রদ্দুল মুহতার, ২/১৩৮।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ (১৩২৩ হি.) বলেন,

ثم اعلم أن مسألة الجمعة قد اختلفت فيه أقوال علمائنا في أنها تُتأدى في بلادنا هذه أم لا؟.. فقد اشتهر في أكثر البلاد أنه لا تجب الجمعة على من هو في بلادنا؛ لأنها ليست بدار الإسلام، وليت شعري من أين اخترعوا هذا الشرط! وليس لذلك في كتبهم أثر. وأما تركه ﷺ الجمعة بمكة فإنما كان لعدم الأمن وعدم القدرة على أدائها عيانا، لكونهم يتعرضون في ذلك لا لكونها دار حرب. الكوكب الدري، ٤١٣/١.

چکی ہے۔ المصدر نفسه، ٢٤٠/٣. وينظر: كفايت المفتى، ٢٥٠/٣. ⋆ فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اهـ رد المحتار- جبکہ سلطان مسلم نہ ہو تو اس کا حل وبدل عبارتِ منقولہ میں موجود ہے۔ فتاوی محمودیہ (١٢/ ٣١١-٣١٢؛ ترتيب جديد: محمد فاروق، ن: مكتبه محموديه). ⋆ (اگر ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا جاوے تو) جمعہ پھر بھی فرض ہے اور بادشاہ مسلمان کا ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ فتاوی دار العلوم دیوبند - ترتيب جديد - (١١٧/٥، ن: مكتبہ دار العلوم ديوبند، ١٤٤٢ هـ).

روایت اولی وثانیہ سے معلوم ہوا کہ جن بلاد پر کفار مسلط ہیں وہاں بلا تردد جمعہ لازم ہے، مسلمان اپنی جماعت میں سے کسی کو امام جمعہ بنا دیویں؛ جمعہ ادا وصحیح ہو جاوے گا۔ مصدر سابق، ١٢٠/٥. وينظر: فتاوى فريديه (١٤٥/٣)، كتاب الفتاوى (٣٣/٣-٣٦)، قاموس الفقه (١٢٤/٣-٢٥؛ خالد سيف الله رحمانى)، كتاب المسائل، ٤٥٧/١-٥٨. ⋆ غیر مسلم ممالک میں مسلمان آپس میں کسی کو مقرر کرکے اسے جمعہ کی نماز کا امام بنا دیں، حاکمِ وقت کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ (جمعہ کے لیے حاکمِ وقت کی شرط، فتوی نمبر: 144107200970؛ دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن). ⋆ وجاء فيها أيضا: جہاں اسلامی سلطنت قائم ہی نہ ہو اور وہاں جمعہ کی وجوب کی شرطیں پائی جائیں تو وہاں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی کو اپنا امام کو منتخب کرکے وہاں جمعہ قائم کرائے۔ (کیا جمعہ کی نماز قائم کرنا صرف ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہے؟ - فتوی نمبر: 144601102093).

তারপর জানুন যে, জুমার বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে যে, আমাদের এ দেশে (হিন্দুস্তানে) জুমআ আদায় করা হবে কি না? অধিকাংশ এলাকায় রটে গেছে যে, আমাদের এ দেশের (হিন্দুস্তানের) বাসিন্দাদের উপর জুমআ ফরয নয়; কারণ এটি দারুল ইসলাম নয়। আমি জানি না তারা এই শর্ত কোথা থেকে আবিষ্কার করেছে! এবং এর স্বপক্ষে তাদের (ইমামদের) কিতাবাদিতে কোনো প্রমাণও নেই। আর মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাম-এর জুমা ত্যাগ করা, তা নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রকাশ্যে তা আদায় করার অক্ষমতার কারণে ছিল, কারণ তাঁরা সেই সময় বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, দারুল হ/র-ব হওয়ার কারণে নয়। –আলকাওকাবুদ দুররী, ১/৪১৩।

সুলতানের শর্ত কখন প্রযোজ্য, আর কখন প্রযোজ্য নয়? এই সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর আব্দুল হাই লাখনভী রহ. (১৩০৪ হি.) বলেন,

ولعلك تتفطن من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة، وصحة أدائها في بلاد الهند التي غلبت عليها النصارى وجعلوا عليها ولاة كفار، وذلك باتفاق المسلمين وبتراضيهم، ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل وأضل. (عمدة الرعاية، ٢/ ٣٢٣؛ دار الكتب العلمية).

এসব টেক্সট ও অনুরূপ বক্তব্য সমূহ থেকে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ যে, নিঃসন্দেহে হিন্দুস্থানের ভূমিতে -যা খ্রিস্টানরা দখন করে নিয়েছে এবং তাতে কাফের প্রশাসকদের নিয়োগ দিয়েছে- জুমআ আবশ্যক এবং তা আদায় করা সহীহ, আর তা (বাস্তবায়িত হবে) মুসলিমদের সন্তুষ্টি ও ঐক্যমত্যে। আর যে ব্যক্তি এই ফতোয়া দেয় যে, সুলতানের শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে (হিন্দুস্থানে) জুমআর বিধান নেই, নিশ্চয় সে নিজে সত্য থেকে বিচ্যুত এবং অন্যকেও সত্য থেকে বিচ্যুত করছে। উমদাতুর রিআয়া, ২/৩২৩।

বি. দ্র.

উপরিউক্ত বিভিন্ন ইবারতে (টেক্সটে) এসেছে যে, এই এই ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিমদের জন্য খতীব নিযুক্ত করে জুমআ আদায় করা 'জায়েজ'। সেখানে 'জায়েজ' শব্দটি বলা হয়েছে 'নাজায়েজ' এর বিপরীত শব্দ হিসেবে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট করার জন্য যে, জনসাধারণের জন্য জুমআ আদায় নাজায়েজ নয় (যেমনটি ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহিমাহুমাল্লাহ এর বক্তব্য)। সেখানে 'জায়েজ' দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সেই বিশেষ পরিস্থিতি গুলোতে সাধারণ মানুষের জন্য জুমআ কায়েম করা 'ফরয' নয়, বরং জায়েজ অর্থাৎ চাইলে জুমআ কায়েম করতে পারবে, চাইলে জহুর আদায় করতে পারবে; বিষয়টি এমন নয়। বরং তখনও জনসাধারণের ওপর জুমআ কায়েম করা 'ফরয'। মোটকথা: ওই সব স্থানে 'জায়েজ' শব্দটি 'নাজায়েজ/ সহীহ না হওয়ার' যেই অভিমত রয়েছে, তার বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জুমআ 'কায়েম করা' বা

‘না করা’র ইখতিয়ার (সুযোগ) রয়েছে, এই হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ’লাম।

উপরোক্ত আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ সারাংশ

১. সুলতান (খলীফাতুল মুসলিমীন) বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি, কিংবা অনুমতি ব্যতীত জুমআর সালাত কায়েম করলে তা বিশুদ্ধ হবে কী না? এপ্রসঙ্গে ইমামদের দুটি মত রয়েছে। এক. অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো- জুমআ সহীহ হবে, জুমআর সালাতের জন্য সুলতানের শর্ত প্রযোজ্য নয়। দুই. হানাফী মাজহাবের মত হলো- জুমআ সহীহ হবে না; কেননা, তাঁদের নিকট জুমআর আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে- সুলতান বা তাঁর অনুমতি থাকা।

২. যদি সুলতানের অনুপস্থিতির কিংবা তাঁর অনুমতি নেওয়া যাচ্ছে না- এমন কোন পরিস্থিতি আসে (যথা: তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, বা অবরুদ্ধ); তখন ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহিমাহুমাল্লাহ এর মাজহাব হলো- মুসলিমগণ জুমআ পড়বে না, বরং জহুর আদায় করবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. মাজহাব হলো- তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যোগ্য কাউকে খতীব নিযুক্ত করে জুমআ আদায় করবে। এই মতের ওপরই ফতোয়া। উক্ত ক্ষেত্রে উলামা ও মাশায়েখে আহনাফ ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন এবং এই অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।

৩. আহনাফের নিকট জুমআ কায়েম করা সহীহ হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হলো- সুলতান, যা ব্যতীত জুমআ আদায় করলে তা সহীহ হবে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উলামায়ে আহনাফ জরূরতের কারণে সুলতানের উপস্থিতি বা তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমআ আদায়কে জায়েজ বলেছেন; যথা: এক. তিনি মৃত্যু বরণ করলে। দুই. কোন শরয়ী উজর ব্যতীত সে একগুঁয়েমিবশত কিংবা ক্ষতি সাধনের জন্য জুমআ আদায়ে নিষেধ করলে। তিন. শাসক কাফির হলে, কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র কাফিররা দখল করে নিলে।

৪. শাসক কাফির হলে- সেখানকার মুসলিমদের ওপর ফরয (আবশ্যকীয় দায়িত্ব) হলো- (জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য সুলতানের শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্ত সেখানে পাওয়া গেলে) নিজেরা খতীব নির্ধারণ করে জুমআ কায়েম করবে।

আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে মুহতারাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মাহদি (হাফিজাহুল্লাহ) লিখেছেন,

হানাফী মাযহাবে সাধারণ অবস্থায় যখন সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান) থাকেন এবং তিনি জুমআর ব্যবস্থাপনা করেন, তখন জুমআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য সুলতান বা নায়েবে সুলতানের উপস্থিতি কিংবা তাদের অনুমতি শর্ত। অন্যথায় জুমআ সহীহ হয় না। তবে সুলতান না থাকা বা সুলতানের জুমআ ছেড়ে দেয়ার মতো বিশেষ কিছু অবস্থা

আছে, যেখানে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তখন মুসলিমদের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নিয়োগ করে জুমআ আদায় করা ফরজ। সুলতানের অনুমতি না থাকার অজুহাতে জুমআ ত্যাগ করা জায়েয নয়।..

সুতরাং হানাফী মাযহাব মতে জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য সুলতান বা নায়েবে সুলতানের উপস্থিতি বা অনুমতি প্রদানের শর্ত তখনই প্রযোজ্য, যখন মুসলমানদের এমন একজন সুলতান থাকবেন, যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে জুমআ কায়েম করবেন। পক্ষান্তরে অবস্থা যদি এমন হয় যে, সুলতান থাকা সত্ত্বেও তিনি জুমআ কায়েম করার দায়িত্ব পালন না করেন কিংবা কোনো গোলযোগ বা অসুবিধার কারণে তাঁর অনুমতি গ্রহণ সম্ভব না হয় অথবা মুসলমানদের কোনো সুলতান-ই না থাকে, তাহলে এসব পরিস্থিতিতে ইমামের উপস্থিতি বা অনুমতির ওপর জুমআ মওকুফ থাকবে না। বরং এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ওপর আবশ্যক হল, নিজেরাই জুমআর জন্য একজন ইমাম ঠিক করে নিবে এবং তাঁর ইমামতিতে জুমআ আদায় করবে। (https://fatwaa.org/2020/06/24/1166/).

هذا، وصلى الله تعالى على سيد الأنبياء وخاتم النبيّين محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.